वार्षिक प्रतिवेदन 2018-2019

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

Bihar State Disaster Management Authority

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पंत भवन, नेहरू पथ, पटना-800001, फोन : 91 (0612) 2547232, फैक्स : 91 (0612) 2547311

Visit : www.bsdma.org. Email : info@bsdma.org, tweet : sdma.bihar

आपदा नहीं हो भारी, यदि पूरी हो तैयारी।

विकास ऐसा हो जो आफत से बचाये,

विकास ऐसा न हो जो आफत बन जाए।

विषय सूची

हमारे मा. मुख्यमंत्री–सह– प्राधिकरण के अध्यक्ष.................02

उपाध्यक्ष की कलम से.................03

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

01. प्राधिकरण का गठन, लक्ष्य एवं कार्य.................04

02. सदस्यों का मनोनयन.................05

03. भवन................. 05

04. प्राधिकरण के ''Logo'' का विकास................. 05

05. प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा.................06

06. प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पद.................07

07. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्राधिकरण की भूमिका.................08

08. प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमः एक झलक.................09

09. प्राधिकरण के प्रभाग

(i) प्राकृतिक आपदा प्रभाग................. 10

(ii) पर्यावरण एवं जलवायु परिर्वतन अनुकूलन प्रभाग................. 11

(iii) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रभाग.................11

(iv) मानव जनित आपदा प्रभाग................. 12

(v) मीडिया एवं आईटी सेल 12

प्राधिकरण की कार्य योजना 14

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गतिविधियां (2018–2019).................17

प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम.................36

ऑडिट रिपोर्ट (2018–19).................44

हमारे माननीय मुख्यमंत्री–सह–प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार

''"राज्य के खजाने पर आपदा प्रभावितों का पहला हक है'' ऐसा व्यापक एवं समर्पित दृष्टिकोण रखने वाले और आपदा प्रबंधन के प्रति पूर्ण समर्पित बिहार के माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री नीतीश कुमार के कुशल मार्गदर्शन में राज्य ''आपदा सुरक्षित–बिहार''की दिशा में सतत् अग्रसर है।

बिहार के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप (2015–2030) ने राज्य में आपदा प्रबंधन को एक नई दिशा प्रदान की है और इस दूरदर्शी सोच के पीछे माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का ही दृष्टिकोण है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के दिशा निर्देश के अनुरूप प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के सिद्धांतों को व्यावहारिक रूप प्रदान करते हुए उसे आम जन मानस से जोड़ने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा के सभी उपाय किए जा रहे हैं।

भूकंप और बाढ़ जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रमों के साथ–साथ अगलगी, सड़क दूर्घटना, डूबने की घटनाओं, सुरक्षित नौका परिचालन एवं मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम (सुरक्षित शनिवार) पर केन्द्रित व्यापक कार्यक्रम एवं अभियान बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे हैं।

आपदा प्रबंधन एक सामूहिक जिम्मेदारी है जिसमें सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं सहित समुदाय की भी एक निश्चित भूमिका होती है। इसी अवधारणा के अनुसरण में आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण सभी भागीदारों के साथ एक समन्वित आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन की संस्कृति विकसित करने की दिशा में अग्रसर है। राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा रोडमैप के अनुसार जोखिम न्यूनीकरण हेतु निर्धारित कार्य योजनाओं को निष्पादित किया जा रहा है और साथ ही आपदा जोखिम न्यूनीकरण को विभागों के कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं के साथ मुख्यधारा में समाहित करने का कार्य किया जा रहा है।

माननीय मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में आज बिहार की गणना आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में होती है। परिणाम स्वरूप आज अन्य राज्यों के प्रतिनिधि भी बिहार से आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप एवं प्राधिकरण की योजनाओं और नीतियों को समझने के लिए प्रायः आते रहते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भी बिहार के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना की जाती है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने माननीय अध्यक्ष के इस विश्वास को कायम रखते हुए निरन्तर ''आपदा सुरक्षित बिहार'' की अवधारणा को साकार करने की ओर अग्रसर है।

उपाध्यक्ष की कलम से...

आकाश, जल और वायु की तरह ही आपदाएं भी समय और देश राज्य की सीमाओं में नहीं बांधी जा सकती है। यह भी रोचक है कि कई बड़ी आपदाओं के घटित होने में इन्हीं तीन अवयवों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समय और सीमा से परे घटित होने वाली आपदाओं के प्रबंधन और जोखिम न्यूनीकरण के लिए भी समग्र और व्यापक रूप से तैयारी की आवश्यकता होती है। साथ ही आज आवश्यकता है सतत् विकास (Sustainable Development) की और विकास को आपदारोधी बनाने की, साथ ही विकास की ऐसी नीति निर्माण की जिससे विकास स्वयं आपदा न बन जाए तथा आपदा से बचाने में कारगर भूमिका निभा सके। अतः आपदा जोखिम न्यूनीकरण और आपदाओं के प्रबंधन के साथ ही आज इनको विकास की मुख्यधारा में समाहित करने की आवश्यकता है।

जहाँ एक ओर बिहार को सभी प्रकार की आपदाओं का घर कहा जाता है , वहीं प्रगतिशील सोच और दूरदर्शिता रखने वाले बिहार के माननीय मुख्यमंत्री–सह–बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में राज्य ने आपदा प्रबंधन एवं जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में नये प्रतिमान स्थापित करते हुए देश और विश्व को राह दिखाने का भी कार्य किया है।

बिहार की भू–पारिस्थितिकी एवं सामाजिक आर्थिक स्थितियां इसे प्राकृतिक आपदाओं के प्रति Vulnerable बनाती है। साथ ही अनेक मानव जनित आपदाओं और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना भी राज्य को करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियों का सामना सभी भागीदारों के साथ और एक सुनियोजित प्रक्रिया द्वारा ही किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन के इस आयाम को समझते हुए ही राज्य ने देश ही नही अपितु विश्व के एक बड़े भाग में अग्रणी रहते हुए पहली बार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप (2015–2030) का निर्माण किया, जिसके अंतर्गत समयबद्ध रूप में सभी भागीदारों के साथ मिलकर आपदा की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प लिया गया। निर्धारित कार्य योजना के अनुसार राज्य इस रोडमैप के क्रियान्वयन की ओर सतत् अग्रसर है।

अपने स्थापना के समय से ही बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण राज्य को आपदा सुरक्षित बनाने की ओर सतत् अग्रसर है। योजना निर्माण, नीति निर्धारण, जागरूकता एवं क्षमतावर्धन सहित आपदाओं के प्रबंधन के सभी आयामों पर प्राधिकरण यथा संभव प्रयास एवं कार्य कर रहा है। सुरक्षित विद्यालय, सुरक्षित समुदाय, सुरक्षित बिहार की अवधारणा को मूर्तरूप देने के लिए प्राधिकरण सतत् प्रयत्नशील एवं संकल्पित है। वार्षिक प्रतिवेदन (2018–2019) के माध्यम से संदर्भित वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है। हमारे इस प्रयास में आप सभी का सुझाव एवं सहयोग अपेक्षित है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

01. प्राधिकरण का गठन, लक्ष्य एवं कार्य

- बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (53 की धारा 14 के अंतर्गत) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 3449/ आ॰प्र॰ दिनांक–06.11.2007 के तहत हुआ है।
- माननीय मख्यमत्री, बिहार प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन सदस्य एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं।
- प्राधिकरण में एक उपाध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। आलोच्य अवधि में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, भा.प्र.से. (से.नि.) एवं सदस्य प्रो0 ए.एस आर्य, (दिनांक 22.07.2017 तक) डॉ0 उदयकांत मिश्र तथा श्री पी0एन0 राय (दिनांक 05.02.2018 से) नियुक्त एवं कार्यरत हैं।
- राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उपरोक्त 2005 के अधिनियम के उपबंधों के आलोक में राज्य में आपदा प्रबंधन के लिए नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है।
- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों एवं योजनाओं के सूत्रण के साथ–साथ निम्न विशिष्ट कार्यों को सम्पादित करे–

(क) राज्य आपदा प्रबंधन नीति निर्धारण करना।

(ख) राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार राज्य आपदा प्रबंधन योजना कार्यान्वयन का समन्वयन करना।

(ग) राज्य सरकार के विभागों द्वारा तैयार की गयी आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करना।

(घ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा उनकी विकास योजनाओं में आपदाओं की रोकथाम एवं शमन के उपायों को समाहित कराने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना एवं आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना।

(ड.) आपदा शमन (Mitigation) और तैयारी उपायों के लिए निधियों की व्यवस्था करने की अनुशंसा राज्य सरकार को करना।

(च) राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा कर सुनिश्चित करना कि आपदाओं की रोकथाम एवं न्यूनीकरण के उपाय इन योजनाओं में शामिल किये गए हैं।

(छ) राज्य सरकार के विभागों द्वारा आपदा शमन (Mitigation) क्षमतावर्धन और तैयारी के लिए किये जा रहे उपायों की समीक्षा करना एवं आवश्यकतानुसार मागदर्शक सिद्धांत जारी करना।

उपरोक्त के आलोक में आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 19 के अनुसार राज्य के आपदा प्रभावितों के राहत के लिये मानदण्ड तय करना, परन्तु यह मानदण्ड किसी भी दशा में ''राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण'' द्वारा निर्धारित मानदण्ड से कम नहीं होना चाहिये।

''आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005'' के

अनुसार प्राधिकरण की राज्य कार्यकारिणी समिति को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में समन्वयन की सुपरिभाषित जवाबदेही सौंपी गयी है। प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गये जिला आपदा प्रबंधन योजना का अनुमोदन करना प्राधिकरण का दायित्व है।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अनुसार किसी भी आपदा के उत्पन्न होने की दशा में यदि राज्य प्राधिकरण संतुष्ट है कि बचाव या राहत के लिये किसी सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, तो वह संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण को यह निर्देश दे सकता है कि वह आकस्मिकता से निपटने के लिये निविदा आमंत्रित करने की शर्त शिथिल रखते हुए भी सामग्री की व्यवस्था सुनिश्चित करे।

प्राधिकरण की दृष्टि (Vision)

आपदाओं से सुरक्षित बिहार का निर्माण

प्राधिकरण के प्रेरक सिंद्धात

विकास ऐसा हो, जो आफत से बचाये।

विकास ऐसा न हो, जो आफत बन जाये।।

02. सदस्यों का मनोनयन

माननीय मुख्यमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव पदेन मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं। प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा प्राधिकरण के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। वे एक सदस्य को उपाध्यक्ष मनोनीत करते हैं। तदनुसार दिनांक 12 सितम्बर, 2016 से श्री व्यास जी भा० प्र० से (से० नि०) को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। श्री व्यास जी दिनांक 12.09.2016 के प्रभाव से प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर पदासीन हैं। आलोच्य अवधि में प्राधिकरण के सदस्यों के रूप में डॉ० यू० के० मिश्र, (सेवानिवृत प्रतिकुलपति, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय), दिनांक 15.04.2015 के प्रभाव से, प्रो० ए०एस० आर्य, (सेवानिवृत प्रोफेसर आई०आई०टी० रूड़की) दिनांक 15.04.10 से 22.07.2017 तक एवं श्री पी० एन० राय भा० पु० से० (से० नि०) दिनांक 05.02.2018 के प्रभाव से कार्यरत हैं।

03. भवन

सम्प्रति बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यालय पंत भवन, द्वितीय तल पर कार्यरत है, जो कृषि विपणन पर्षद विघटित, बिहार, पटना से किराये पर लिया गया है। एकरारनामा के अनुसार किराये की राशि प्रतिमाह 79637/-(उन्नासी हजार छः सौ सैंतीस) रू0 निर्धारित है।

04. प्राधिकरण के "LOGO" का विकास

प्राधिकरण के गठन के बाद अपना "LOGO" का विकास नहीं हो पाया था। वर्ष 2010 में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर श्री अनिल कुमार सिन्हा, भा.प्र.से. (से.नि.) के योगदान करने के पश्चात प्राधिकरण के "LOGO" को बनाने के लिए पटना आर्ट कॉलेज में दिनांक 26.11.2010 को एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था।

इस प्रतियोगिता में कला एवं शिल्प महाविद्यालय, पटना के छात्रों ने भाग लिया। इसी महाविद्यालय के छात्र श्री गौतम कुमार द्वारा "लोगो" तैयार किया गया। प्रारुप जिसे चयन समिति द्वारा चयनित किया गया। उल्लेखनीय है कि "LOGO" में दर्शाया गया हाथ चिन्ह गौतम बुद्ध का है तथा इसमें दिखाया गया मकान/घर भूकंप से प्रभावित है, इसी हाथ के नीचे दिया गया पानी बाढ़ का सूचक है। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार राज्य बाढ़ एव भूकंप के लिए सर्वाधिक संवेदनशील है।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

बिहार सरकार

05.प्राधिकरण का प्रशासनिक ढांचा

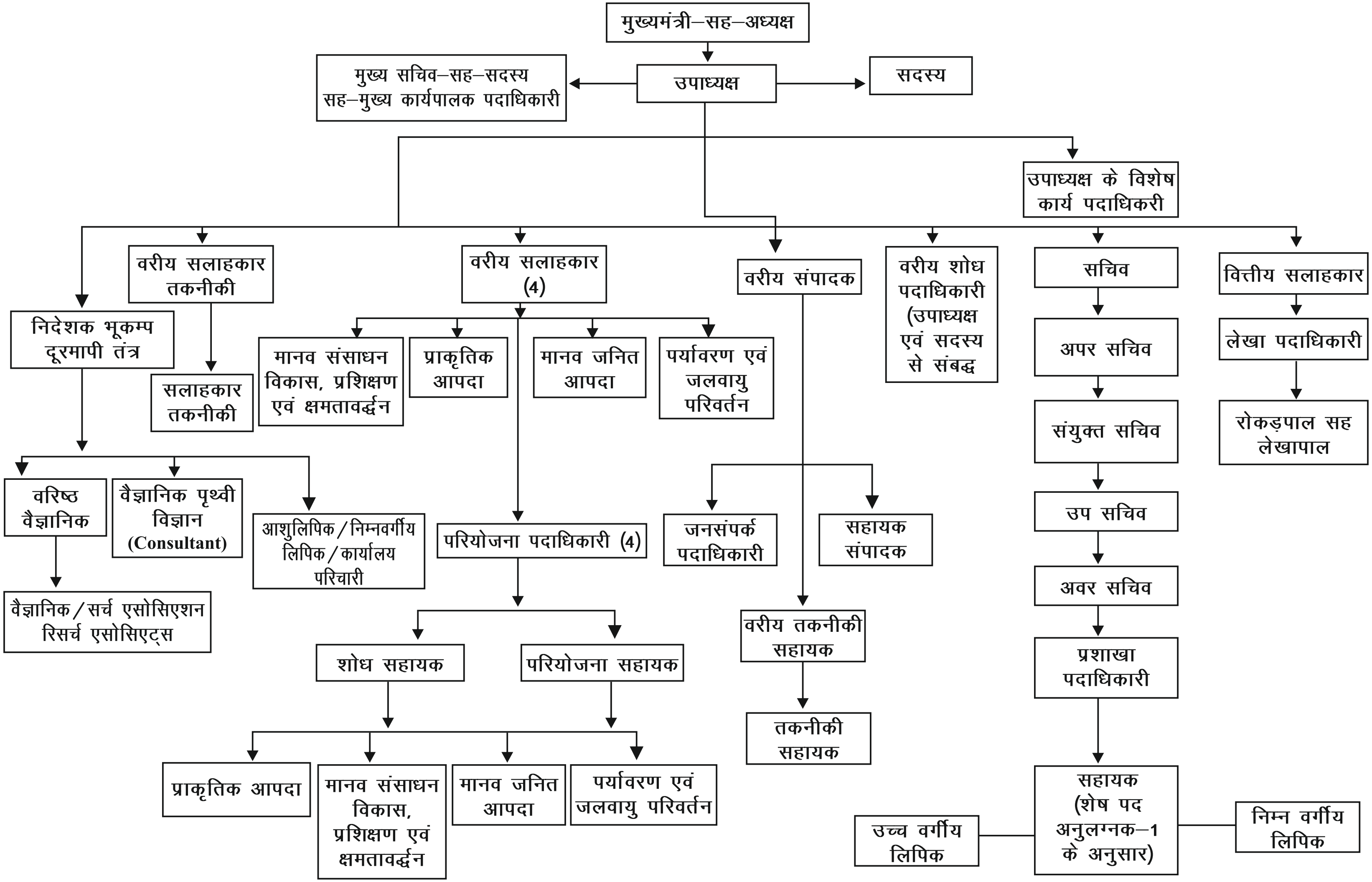

06. प्राधिकरण के लिए स्वीकृत पद

क्र०	पद का नाम	स्वीकृत बल	वर्तमान पदस्थापन
01	उपाध्यक्ष (मंत्री स्तर) सदस्य 07 (राज्यमंत्री स्तर)	8 (इस पद में से एक उपाध्यक्ष)	03
02	सचिव/विशेष सचिव	01	01
03	अपर सचिव	01	00
04	संयुक्त सचिव	01	00
05	माननीय उपाध्यक्ष के विशेष कार्य पदाधिकारी	01	01
06	वरीय सलाहकार (तकनीकी)	01	01
07	सलाहकार (तकनीकी)	01	01
08	वरीय सलाहकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	01	01
09	वरीय सलाहकार, प्राकृतिक आपदा	01	01
10	वरीय सलाहकार, मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण	01	01
11	वरीय सलाहकार, मानव जनित आपदा	01	00
12	वरीय सम्पादक/सम्पादक	01	01
13	परियोजना पदाधिकारी, (प्राकृतिक आपदा)	01	01
14	परियोजना पदाधिकारी, (मानव जनित आपदा)	01	01
15	परियोजना पदाधिकारी, (मानव संसाधन क्षमतावर्धन एवं प्रशिक्षण)	01	01
16	परियोजना पदाधिकारी, (पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन)	01	01
17	वित्तीय सलाहकार	01	01
18	लेखा पदाधिकारी	01	01
19	वरीय शोध पदाधिकारी	05	01
20	वरीय तकनीकी सहायक/तकनीकी सहायक	04	02
21	सहायक सम्पादक	01	00
22	जन सम्पर्क पदाधिकारी	01	00
23	परियोजना सहायक/अनुसंधान सहायक	04	00
24	उप सचिव	01	00
25	अवर सचिव	02	01
26	प्रशाखा पदाधिकारी	03	02
27	सहायक	06	04
28	निजी सहायक	10	05
29	लेखा सह रोकड़पाल	02	01
30	उच्च वर्गीय लिपिक	02	01
31	निम्नवर्गीय लिपिक	03	02
32	चालक	08	05
33	आदेशपाल/कार्यालय परिचारी/अनुसेवक	13	06
34	सफाई कर्मी	01	01
35	गार्ड	05	02

07. आपदा जोखिम न्यूनीकरण में प्राधिकरण की भूमिका

बिहार में आपदा का सम्पूर्ण परिदृश्य विभिन्न आपदाओं के सम्मिश्रण से उत्पन्न होता है जो कि यहाँ के निवासियों के लिए अत्यंत विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न करता रहा है। यह एक बहु–आपदा प्रवण राज्य है जहाँ सभी प्रमुख प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाओं का कहर समय–समय पर राज्य के निवासियों पर बरपा है। राज्य के सभी 38 जिले विभिन्न आपदाओं के लिए प्रवण है। बाढ़ भूकंप, चक्रवाती तूफान, सुखाड़ अगलगी, लू, शीतलहर, नाव दूर्घटना, सड़क दुर्घटना आदि अनेक प्राकृतिक एवं मानव–जनित आपदाएं इन जिलों को प्रभावित करती रही है। राज्य के 8 जिले भूकंप के सर्वाधिक संवेदनशील जोन V में, 24 जोन IV में तथा 6 जिले जोन III में आते हैं। इसी प्रकार भूकंप की दृष्टि से भी बिहार अत्यंत संवेदनशील है। राज्य के कुल 28 जिले बाढ़ के प्रति संवेदनशील हैं जिसमें 15 जिले अतिप्रवण एवं 13 जिले बाढ़ प्रवण की श्रेणी में आते हैं। विभिन्न आपदाओं के संयुक्त प्रभाव को देखते हुए राज्य के आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में सभी जिलों को तीन श्रेणियों में रखा गया है–A में बाढ़ के प्रति अत्यंत संवेदनशील एवं भुकम्पीय Zone V में शामिल 10 जिलों को शामिल किया गया है। श्रेणी–B में अन्य बाढ़ प्रवण एवं भूकंपीय जोन IV में शामिल 18 जिलों को रखा गया है। श्रेणी–C में मुख्यतः सुखाड़ के प्रति संवेदनशील एवं भूकंपीय Zone III में शामिल 10 जिलों को रखा गया है। इस प्रकार के श्रेणी विभाजन में अन्य आपदाओं को भी संज्ञान में लिया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में प्रावधानित उपरोक्त सभी दायित्वों का बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। इन दायित्वों के निरूपण हेतु प्राधिकरण द्वारा समय–समय पर अनेक गतिविधियां संचालित की जाती है और अनेक परियोजनाओं का क्रियान्वयन भी किया जाता है, जिनमें मुख्य हैः–

(I) आपदा जोखिम न्यूनीकरण को केन्द्र में रख कर राज्य एवं जिला स्तर पर संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण।

(II) राज्य जिला एवं विभागीय स्तर पर आपदा प्रबंधन योजनाओं का निर्माण।

(III) सभी भागीदारों एवं प्रभावितों का आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमतावर्धन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम।

(IV) संरचनात्मक जोखिम न्यूनीकरण एवं सुरक्षित निर्माण (Safe Construction) को बढ़ावा देने के लिए अभियंताओं, वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी निर्माण हेतु प्रशिक्षण।

(V) आपदा जोखिम न्यूनीकरण को सभी विकास कार्यों में समाहित करना।

(VI) सभी आपदाओं के संबंध में प्रभावशाली पूर्व–सूचना प्रणाली को विकसित करना।

(VII) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में नए शोध कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना एवं तत्तसंबंधी सहयोग प्रदान करना।

08. प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रमः एक झलक

- राज्य के अभियंताओं/वास्तुविदों एवं राजमिस्त्रियों को भूकंपरोधी भवन निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण।
- राज्य के नाविकों एवं नाव मालिकों का सुरक्षित नौका परिचालन पर NINI के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- आदर्श नौका परिचालन नियमावली के अनुसार अधिसूचित सर्वेक्षकों/निबंधकों का प्रशिक्षण।
- बिहार प्रशसनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के सभी पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीककरण प्रशिक्षण।
- मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में सुरक्षित शनिवार का आयोजन।
- राज्य के सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं प्रखण्ड प्रमुख/जिला परिषद अध्यक्षों का बहु–आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित प्रशिक्षण।
- सड़क सुरक्षा हेतु जन–जागरूकता।
- पशु चिकित्सकों का आपदाओं में पशुओं के प्रबंधन विषय पर को प्रशिक्षण।
- 6–18 आयु वर्ग के बच्चों/किशोरों को डूबने से बचाने हेतु तैराकी का प्रशिक्षण।
- बिहार टेलीमेट्री नेटवर्क की स्थापना।
- आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर सघन जन–जागरूकता कार्यक्रम आदि।
- पटना स्थित सभी अस्पतालों को आग से सुरक्षित रखने के लिए नियमित प्रशिक्षण एवं अस्पताल के हितभागियों के क्षमतावर्धन सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन।

09. प्राधिकरण के प्रभाग

(i) प्राकृतिक आपदा प्रभाग

- बिहार में परिसंकट तथा अपनी सुरक्षा लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्यूनतम किया जा सके।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केन्द्रित करना।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधयों में उपांतरण पर स्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उन्हें सशक्त बनाना।
- प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने के संबंध में जिला पंचायतों और ग्राम सभाओं को
- संवेदनशील बनाना तथा सशक्त करना एवं उनके आवासीय मकानों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए साधारण दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि नए निर्माण की रूप–रेखा आपदारोधी हो और अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए।
- विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के अधीन विद्यमान विनिर्माणों, मुख्यतः भवनों, पुलों, बांधों आदि की सुरक्षा का मूल्यांकन करना तथा उनमें जुड़नार लगाना (रिट्रोफिटिंग) का तरीका विकसित करना ताकि संपूर्ण विध्वंस या गंभीर क्षति से सुरक्षा की जा सके।
- आपदा जोखिम में कमी सहित उपयुक्त आपदा प्रबंधन के लिए आपदाओं की छद्मरूपी घटनाओं में क्षति का परिदृश्य बनाने की अपेक्षा होगी।
- सभी प्राकृतिक परिसंकटों के प्रभाव का शमन करने के लिए विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) के क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- एन0डी0एम0ए0 द्वारा जारी सुसंगत दिशा–निर्देशों को प्रसारित करना तथा इसके लिए कदम उठाना।
- जहां कहीं आवश्यक हो, शहरी स्थानीय निकायों के भवन उपविधियों में उपयुक्त उपान्तरणों को पुनः स्थापित करना और तद्नुसार उन्हें कार्यान्वित करना।
- इस प्रभाग के प्रभारी श्री पी॰ एन॰ राय, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं।

(ii) पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (ज.प.अ.) प्रभाग

- पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन से संबंधित उभरती विचारधारा एवं सुसंगत विषयों के प्रति जागरूकता लाना।
- बिहार की वर्तमान और भावी अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को रेखांकित करना।
- जलवायु से संबंधित समस्याओं का सुव्यवस्थित निरूपण विकसित और प्रदर्शित करना तथा कम लागत वाले उपायों की रूपरेखा तैयार करना।
- क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न पणधारकों, यथा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में सरकारी पदाधिकारियों को संवेदनशील बनाना।
- क्षमता निर्माण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा अन्य उपक्रमों, गैरसरकारी संगठनों, सिविल सोसाइटी आदि में कार्मिकों को संवेदनशील बनाना।
- बिहार में परिस्थितिकी और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के सुसंगत विषयों का अध्ययन करना।
- शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में सुसंगत विषयों के समावेश को प्रोत्साहित करना।
- बिहार में बार–बार होने वाली सुखाड़ की स्थितियों का विश्लेषण करना और अनुकूल उपायों के लिए जलवायु परिवर्तन के रूझानों और पर्याप्त रणनीतियों को ध्यान में रखते हुए उनके शमन के लिए संभावित उपायों की योजना बनाना।

इस प्रभाग के प्रभारी डा॰ उदयकान्त मिश्र, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं।

(iii) मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रभाग

विभिन्न परिसंकटों (प्राकृतिक और मानव) के शमन एवं तत्परता के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए जाएंगे :

- क्षमता निर्माण करना, विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) का लक्ष्यांकन प्रथमतः सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के सरकारी पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए लक्ष्यांकित किया जाएगा।
- वास्तुविदों, अभियंताओं, चिकित्सकों, शिक्षाविदों, उद्योगपतियों, विनिर्माताओं और संविदाकारों आदि से सम्पर्क साधना ताकि दोषपूर्ण मूल्यांकन, जोखिम विश्लेषण और आपदा प्रबंधन के विभिन्न घटकों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जा सके।
- वांछित फलाफल की प्राप्ति के लिए समुचित रणनीति तैयार करना।
- विभिन्न स्तरों पर लोगों को समुचित शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करना।
- प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सांस्थिक सुविधाएं सृजित करने में और शिक्षक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में सहायता करना।
- न केवल पूर्व से कार्यरत सभी पदधारकों को प्रशिक्षण देना बल्कि सरकार,

विभिन्न उपक्रमों या गैर सरकारी संगठनों के अधीन सेवा में आनेवालों को भी प्रशिक्षित करना। इस प्रभाग के प्रभारी डा॰ उदयकान्त मिश्र, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है।

(iv) मानव जनित आपदा प्रभाग

- बिहार में परिसंकट तथा अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करना।
- पूर्व कार्रवाई करने के प्रति पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को संवेदनशील बनाना ताकि परिसंकट का प्रभाव न्युनतम किया जा सके।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के विद्यालयों और अस्पतालों/औषधालयों की सुरक्षा के प्रति ध्यान केन्द्रित करना।
- नगर निगम, नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों की भवन उपविधयों में उपांतरण पुर्णस्थापित करना तथा उपविधियों के प्रभावी प्रवर्तन के लिए उन्हें सशक्त बनाना।
- मानव प्रेरित आपदाओं के घटित होने के संबध में जिला पंचायतों और ग्राम सभाओं को संवेदनशील बनाना, सशक्त करना तथा उनके आवासीय/शासकीय मकानों की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए साधारण दिशा–निर्देश उपलब्ध कराना।
- विश्लेषण और योजना बनाने के लिए छद्मरूपी स्थिति के अधीन क्षति के परिदृश्य सृजित और विकसित करना।
- सभी मानव प्रेरित परिसंकटों के प्रभाव का शमन करने के लिए विभिन्न पणधारकों (स्टेक होल्डर्स) को क्षमता निर्माण में सहायता करना।
- एन0डी0एम0ए0 द्वारा जारी सुसंगत दिशा–निर्देशों को प्रसारित करना और राज्य में इसके कार्यान्वयन के लिए कदम उठाना।

इस प्रभाग के प्रभारी श्री पी0 एन0 राय, सदस्य बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हैं।

(v) मीडिया एवं आई0टी0 सेल

प्राधिकरण का मीडिया एवं आई0 टी0 सेल सभी प्रभागों के समन्वयन में कार्य करता है और इस प्रकार सभी प्रभागों में इसका कार्य विस्तार है। यह प्रभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों को आमजन तक ले जाने का कार्य करता है। विभिन्न जन–संचार एवं तकनीकी माध्यमों द्वारा यह प्रभाग प्राधिकरण द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की जानकारी राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने का प्रयास करता है। इस सेल के कार्यों से ही अन्य प्रभाग के कार्यों की जानकारी लोगों तक पहुँचती है।

इस सेल के प्रमुख कार्यो में जनसम्पर्क एवं विभिन्न हितभागियों के साथ सम्पर्क, आपदा प्रबंधन संबंधी जनजागृति एवं शिक्षण हेतु रणनीति निर्माण, मीडिया प्रबंधन एवं समन्वय, सूचना

प्रौद्योगिकी द्वारा संप्रेषण, सम्पादन एवं प्रकाशन तथा जागरूकता हेतु सामग्री निर्माण (IEC) संबंधी गतिविधियाँ आदि शामिल हैं।

इस सेल के कार्यों को दो भागों में बाँटा जा सकता है

a.) मीडिया संबंधी कार्य

- प्राधिकरण के त्रैमासिक न्यूजलेटर 'पुनर्नवा' का प्रकाशन।
- प्राधिकरण की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर मासिक रिपोर्ट का प्रकाशन।
- प्राधिकरण का वर्ष की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन एवं संपादन।
- प्राधिकरण के किसी भी कार्यक्रम के पूर्व एवं पश्चात प्रेस विज्ञप्ति जारी करना।
- बिहार दिवस के अवसर पर मीडिया के साथ बेहतर समन्वय।
- प्राधिकरण द्वारा चलाये जाने वाले मॉकड्रिल कार्यक्रमों में मीडिया के साथ समन्वय।
- प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों में मीडिया की एक हितधारक के रूप में भागीदारी सुनिश्चित करना।
- मीडिया संबंधी कार्यों के अतिरिक्त यह प्रभाव प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। सोनपुर मेला के सफल निष्पादन की पूरी जिम्मेदारी मीडिया एवं आई0टी0 प्रभाग पर ही रहती है।

b.) आई0टी0 संबंधी गतिविधियाँ एवं उपलब्धियाँ

- पूरे राज्य में अब तक 10 लाख से अधिक लोगों तक Mass Messaging के माध्यम से आपदा संबंधी जन–जागरूकता के संदेशों का प्रसारण।
- सोशल मीडिया के माध्यम से प्राधिकरण के कार्यक्रमों एवं गतिविधयों की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना।
- राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क (State Disaster Resource Network - SDRN) विकसित करने का कार्य जारी है।
- प्राधिकरण के सभी कार्यक्रमों एवं प्रभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करना।

प्राधिकरण की कार्य योजना

रण की वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 का प्रस्तावित कार्य योजना एवं बजट की स्वीकृति

Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA)

Action Plan for BSDMA for Two Years (2017 – 19)

In the light of DM Act 2005, State Disaster Management Plan (SDMP) and DRR Roadmap of Bihar (2015 - 30), Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA) has developed a strategy and plans for next two years. This has evolved through a visioning exercise conducted by BSDMA since November 2017. There will be reviews and monitoring of progress on the proposed action plan for next two years and it may be revised accordingly.

BSDMA Divisions –

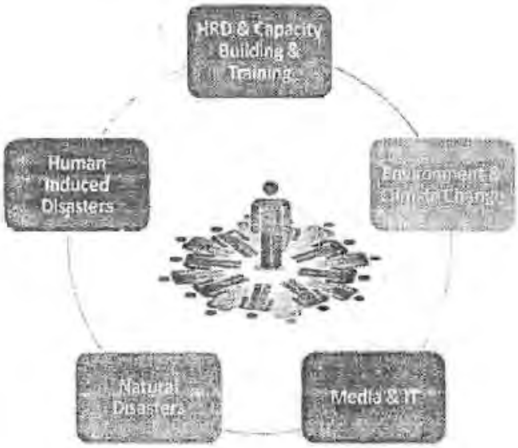

In order to execute BSDMA's programmes and policy, it has been constituted with 5 divisions in it which include 4 functional areas, supported by one Finance and Administration Section. BSDMA has another support division which is Media & IT division.

Thematic Area wise Work Plan

A. Policy Plan Interventions
   - (i) Review of State DM Policy 2007
   - (ii) Departmental Disaster Management Plan for all departments of the State Government
   - (iii) Office Disaster Management Plan of headquarter offices of Govt. departments.

(iv) Technical Assistance to DDMAs in preparation of Village Disaster Management Plans (VDMPs) (Group A districts as per DRR Roadmap)

(v) Completion of District Disaster Management Plan of all districts

(vi) City Disaster Management Plan of Patna / Muzaffarpur / Bhagalpur / Gaya / Bihar Shareef

(vii) Technical Assistance in preparation of Animal Disaster Management Plan

B. Training & Capacity Building Programmes

(i) Engineers / Architects / Masons Training on Earthquake Resistant Constructions

(ii) Supporting establishment and strengthening of BSIDM

(iii) Capacity building of Responders for Disaster Risk Reduction and Management

(iv) Training of BAS & BPS officers on DRR

(v) Training of other stakeholders

C. Mitigation and DRR Measures

(i) Technical advice for disaster resistant constructions / retrofitting of schools and government buildings.

(ii) Technical support to various departments / agencies as per DRR Roadmap

(iii) Formulation and technical support in the implementation of "Safe Saturday" under MukhyaMantri School Safety Programme (MSSP) in collaboration with Education Department

(iv) Disaster Management Information System – State Disaster Resource Network (SDRN)

(v) Implementation of activities assigned to BSDMA under DRR Roadmap

(vi) Technical support to the stakeholders for mitigation of adverse impacts of cyclonic storms / flood / fire etc.

D. Action Plans& Guidelines Preparation and Implementation

(i) Earthquake Safety

(ii) Road Safety and other human induced disasters

(iii) Fire Safety.

(iv) Action Plan for prevention / mitigation ofDrowning incidents

(v) Lightning Action Plan

(vi) Action Plan for prevention / mitigation ofBoat Capsizing incidents

(vii) Action Plan to mitigate climate change induced disasters

(viii) Heat Waves Action Plan

(ix) Cold Waves Action Plan

(x) Action Plan for prevention / mitigation of disasters caused by environmental degradation

(xi) Crowd management

E. Awareness Programmes

(i) Road Safety Week
(ii) Earthquake Safety Week
(iii) Fire Safety Week
(iv) Flood Safety Week
(v) Awareness stalls in Bihar Diwas / Sonepur Mela and other mass gathering events
(vi) Technical support in ongoing School Safety Day and School Safety Fortnight
(vii) Communication plan for mass awareness
(viii) Regular publications – periodicals, DRR calendar and IEC materials
(ix) Awareness through mass media – electronic, print and social media
(x) Other natural, human induced and climate change induced disasters
(xi) Advisories on prevention/mitigation of disasters and preparedness

F. Research & Studies / Surveys

(i) Establishment and functioning of Bihar Seismic Telemetry Networks.
(ii) Strategies on Industrial Safety
(iii) Survey of the status of "Laghu Bandhs" (Zamindari Bandhs) in all the 38 districts of Bihar
(iv) Survey/Study on current status of Pollution (air, water, soil & sound) in Patna, Gaya, Bhagalpur and Muzaffarpur
(v) Updation of Flood hazard atlas of Bihar
(vi) Study of impacts of successive earthquakes in Bihar
(vii) Other studies on disaster mitigation

G. NDMA Projects

(i) Strengthening of SDMA and DDMAs
(ii) Aapda Mitra Project
(iii) Community based DRR (CBDRR)

H. Miscellaneous

(i) Strengthening of District Disaster Management Authorities (DDMAs)
(ii) Regular meeting of advisory committees and creation of SRGs for each division which can meet more frequently throughout the year.
(iii) Collaborations & Partnerships with stakeholders

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की गतिविधियां (2018–2019)

1. अग्नि सुरक्षा सप्ताहः जन–जागरूकता कार्यक्रम (14–20 अप्रैल 2018)

राज्य सरकार के निर्णय के आलोक में प्रत्येक वर्ष दिनांक 14–20 अप्रैल को अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। प्राधिकरण द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह (14–20 अप्रैल, 2018) के दौरान जन–जागरूकता के निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किये गये।

(क) राज्य के दैनिक अखबारों (दो हिन्दी, एक अंग्रेजी एवं एक उर्दू) के सभी संस्करणों में अग्नि सुरक्षा जागरूकता संबंधी सलाह (Advisory) प्रकाशित किये गये।

(ख) सभी जिलों के जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को अग्नि जागरूकता संबंधी सलाह (Advisory) जारी किये गए।

(ग) पटना शहर के स्लम बस्तियों के निवासियों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 17.04.2018 को किया गया जिसमें पटना शहर के दस स्लम बस्तियों के प्रतिनिधि, संबंधित वार्ड पार्षद, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में स्लम बस्तियों में अग्नि सुरक्षा सुनिश्चित करने के विभिन्न पहलुओं पर सारगर्भित चर्चा हुई । इसमें स्लम बस्तियों के प्रतिनिधि संवेदित किए गए। यह आयोजन 14 से 20 अप्रैल तक राजधानी के विभिन्न आठ अपार्टमेंन्टों और शिक्षा संस्थानों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित नुक्कड़ नाटक एवं मॉकड्रिल का आयोजन हुआ।

2. भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन (19 अप्रैल 2018)

दिनांक 19.04.2018 को भारतीय रिजर्व बैंक, पटना में NDRF के सहयोग से भूकंप से सुरक्षा हेतु मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉकड्रिल कार्यक्रम में प्रमुख हितधारक यथा NDRF, बिहार अग्निशमन सेवाएं, पटना ट्रैफिक पुलिस, स्वास्थ्य विभाग (पी0एम0सी0एच0) मुख्य रूप से शामिल हुए।

3. सड़क सुरक्षा सप्ताह 23–30 अप्रैल 2018 :

(i) प्राधिकरण, एम्स, पटना और ऑटो रिक्शा चालक संघ का कार्यक्रम

BSDMA पटना, एम्स, और ऑटो रिक्शा चालक संघ के सहयोग से ऑटो चालकों के लिए पटना के विभिन्न स्थानों पर Free Health Cheekup एवं Pre Hospital care से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम 23 अप्रैल से 30 अप्रैल तक आयोजित था जिसमें 888 लोगों को आठ तरह के स्वास्थ्य संबंधी आपदाओं से निपटने की जानकारी दी गई।

(ii) निजी कॉमर्शियल वाहन चालकों का जागरूकता कार्यक्रम

आल इंडिया ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन/बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पो) चालक संघ/पटना जिला ऑटो रिक्शा (टेम्पो) चालक संघ/पटना ऑटो रिक्शा चालक संघ के सहयोग से कॉमर्शियल एवं निजी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें कॉमर्शियल एवं निजी वाहन चालकों के लिए सड़क सुरक्षा के आवश्यक नियमों के अनुपालन के संबंध में गांधी मैदान स्थित काली मंदिर के पास एक जागरूकता कार्यशाला का आयोजन दिनांक 28 अप्रैल 2018 को किया गया। वहीं बिहार राज्य परिवहन मित्र कामागार संघ ने राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये। कम्युनिटी ट्रैफिक पुलिस एवं स्वयंसेवी संगठन युगांतर के सहयोग से पटना के विभिन्न चौक चौराहों एवं विद्यालयों/संस्थाओं में सड़क सुरक्षा के लिए तय विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये। 23 से 30 अप्रैल 2018 तक आयोजित इस जागरूकता अभियान में 1948 लोगों की भागीदारी हुई।

4. कार्यशाला सह पटना के वायु गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट का विमोचन

पटना की वायु गुणवत्ता के आकलन विषयक प्रतिवेदन जारी करते मा0 उप मुख्यमंत्री

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा Indian Institute of Tropical Metrology (IITM), Pune के सहयोग से गतवर्ष अक्टूबर–नवम्बर माह में पटना शहर के 10 (दस) स्थानों पर क्रमानुसार 05–05 दिनों तक वायु प्रदूषण के आंकड़े इकट्ठे किये गये। IITM के द्वारा इनका विश्लेषण कर एक प्रतिवेदन तैयार किया गया। इन आंकड़ों पर आधारित प्रतिवेदन एवं की जाने वाली कार्रवाई पर विभिन्न हितधारकों के साथ विमर्श के लिए "Air Quality Assessment of Patna" विषय पर आधारित कार्यशाला का आयोजन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा आद्री के सहयोग से दिनांक 09.05.2018 को पटना में आयोजित इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री सुशील कुमार मोदी माननीय उप मुख्यमंत्री–सह–मंत्री, पर्यावरण एवं वन विभाग ने किया। इस मौके पर उन्होंने प्रतिवेदन–वायु प्रदूषण अध्ययन रिपोर्ट का विमोचन भी किया गया। कार्यशाला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं बिहार प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के पदाधिकारी शामिल हुए।

कार्यशाला में न केवल प्रतिवेदन पर चर्चा हुई बल्कि पटना एवं बिहार में वायु प्रदुषण तथा उसके कुप्रभावों के नियंत्रण एवं शमन के लिए संभावित आवश्यक कार्रवाइयों पर गहन विमर्श किया गया। हितधारकों तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के विशेषज्ञों द्वारा पैनल चर्चा में शामिल होकर शहरों में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के बहुमूल्य सुझाव दिए। विशेषज्ञों के सुझाव के आलोक में सर्वसम्मति से Patna Declaration जारी किया गया।

5. राष्ट्रीय संगोष्ठी
राजगीर के मलमास मेलाः अग्नि एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए प्रशिक्षण (16 मई 2018)

नालन्दा जिले में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले ऐतिहासिक और पौराणिक राजगीर मलमास मेला का उदघाटन माननीय मुख्यमंत्री, बिहार, श्री नीतीश कुमार के कर कमलों से दिनांक 16 मई 2018 को सम्पन्न हुआ। राजगीर मलमास मेले में लाखों की संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। तीर्थयात्रियों के मनोरंजन के लिए तरह–तरह के झूले, सर्कस, खाने–पीने की दुकानें लगती हैं। पूर्व वर्ष के मेलों में कुछ दुकानों में अगलगी की घटनाएं हुई थी। घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने एवं अगलगी से सुरक्षा हेतु जिला पदाधिकारी, नालंदा के अनुरोध पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नेतृत्व में राज्य आपदा रिस्पाँस बल, सिविल डिफेंस एवं बिहार अग्निशाम सेवाएं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के द्वारा दिनांक 12 मई, 2018 को राजगीर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन राजगीर के आर0आई0सी0सी0 भवन में मेला के दुकानदारों के बीच अग्निकांड से बचाव एवं प्राथमिक चिकित्सा तथा सुरक्षित निकास आदि की जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी नालंदा एवं प्राधिकरण के पदाधिकारियों के साथ–साथ जिला प्रशासन के पदाधिकारी भी शामिल हुए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में करीब 200 प्रतिभागियों को अग्नि से सुरक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी मिली एवं प्रतिभागियों को मॉकड्रिल के माध्यम से आग बुझाने के तरीकों की बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग, गैस सिलेण्डर की आग आदि) जानकारी दी गयी एवं उनसे अभ्यास करवाया गया।

लोगों को प्राथमिक चिकित्सा विशेषकर अगलगी की घटनाओं में प्राथमिक चिकित्सा के उपायों को अपनानने एवं ''क्या करें, क्या न करें'' की विस्तृत जानकारी SDRF की टीम के द्वारा दी गई। घरों अथवा दुकानों में अगलगी होने पर सुरक्षित निकास के तरीकों की जानकारी सिविल डिफेंस के अधिकारियों द्वारा दिया गया।

6. "सुरक्षित तैराकी" कार्यक्रमः प्रशिक्षण मॉड्यूल का प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (NINI) के सहयोग से **"सुरक्षित तैराकी"** कार्यक्रम के लिए एक प्रारूप प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। प्रशिक्षण मॉड्यूल की सामुदायिक स्तर पर व्यावहारिकता/उपयोगिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पटना, वैशाली एवं सारण जिलों के अपर समाहर्ता, (आपदा प्रबंधन), तैराकों/गोताखोरों एवं अन्य हितभागियों के समक्ष दिनांक 17 मई 2018 को प्राधिकरण के सभागार में प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक में मिले सुझावों के आधार पर प्रशिक्षण मॉड्यूल का अद्यतनीकरण किया गया है। इस मॉड्यूल के अनुसार 6–18 वर्ष की उम्र के बच्चों को डूबने से बचाने हेतु राज्य के उन सभी जिलों में प्रशिक्षण देने की योजना है। गांव जो नदियों के किनारे बसा है या जिस गांव से होकर होकर नदियां गुजरती हैं। तत्काल पटना, वैशाली एवं सारण जिलों को पायलट जिलों के रूप में चयन किया गया है, जहाँ NINI में प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित उम्र के बच्चों को सुरक्षित तैराकी का 12 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पायलट जिलों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर मॉड्यूल एवं रणनीति में आवश्यक सुधार कर इस कार्यक्रम को विस्तारित किया जा सकेगा। जून माह में मॉड्यूल के अनुसार पायलट जिलों के 10–10 मास्टर ट्रेनर्स को तैराकी में निपुण बनाया जाएगा। इन्हें NINI में प्रशिक्षण देने की योजना है।

7. आपदाओं से सुरक्षा के लिए जन–जागरूकता एवं मॉकड्रिल

विभिन्न आपदाओं यथा भूकम्प, बाढ़, अग्नि, विभिन्न आपदाओं में पशुओं का बचाव (Animal Rescue), सड़क दुर्घटना, Pre Hospital Treatment तथा अन्य स्थानीय आपदाओं जैसे सर्पदंश, डूबने की घटना, चक्रवाती तूफान, नाव दुर्घटना आदि से बचाव एवं सुरक्षा हेतु जिलों में नियमित रूप से जन–जागरूकता अभियान शुरू करने की आवश्यकता है। इस जागरूकता के कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल के माध्यम से आपदा जोखिम न्यूनीकरण के मद्देनजर प्राधिकरण के सभागार में दिनांक 17.05.2018 को बैठक हुई। बैठक में पुलिस मुख्यालय, अग्निशाम सेवाएं, विभिन्न जिलों के आपदा प्रभारी, NDRF, SDRF एवं सिविल डिफेन्स के प्रतिनिधि शामिल हुए। विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि जिलों में नियमित रूप से जन–जागरूकता के कार्यक्रम एवं मॉकड्रिल का आयोजन किया जाए। यह तय किया गया कि इससे संबंधित एक अवधारणा पत्र विकसित कर पूरी योजना की रूपरेखा तैयार कर योजना का उद्देश्य राज्य में आपदाओं से 'सुरक्षा की संस्कृति' (Culture of Resilience) विकसित करना है। योजनानुसार कार्यक्रम का संचालन बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मिलकर करेंगे।

8. भूकम्प–अग्नि सुरक्षा की जानकारी के लिए मॉकड्रिल का आयोजन (24–06–2018)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा दिनांकः–24–06–2018 को पटना के एक अपार्टमेंट एमविसन्स त्रिवेणी तथा पी0 एन0 एंग्लो संस्कृत स्कूल, नया टोला, पटना में भूकंप एवं अग्नि से बचाव पर मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस अपार्टमेंट के करीब दो सौ अधिवासी भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा के मॉकड्रिल में शामिल हुए। भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल का संचालन एन0 डी0 आर0 एफ0 द्वारा किया गया। अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का संचालन बिहार अग्निशमन सेवा द्वारा किया गया। जन जागरूकता एवं मॉकड्रिल के माध्यम से आपदाओं से बचाव हेतु विभिन्न जिलों में किए जाने वाले कार्यक्रम हेतु प्राधिकरण द्वारा अवधारणा पत्र विकसित किया जा रहा है।

9. बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण हेतु मॉड्यूल निर्माण के लिए कार्यशाला

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की 10वीं/11वीं बैठक में अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाना है। इनमें से बिहार प्रशासनिक सेवा के कुल 557 पदाधिकारियों को जुलाई माह तक आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षित कर लिया गया है। इसी क्रम में बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित करने हेतु मॉड्यूल निर्माण एवं प्रशिक्षण पुस्तिका निर्माण की आवश्यकता के मद्देनजर उनके Training Need Assessment हेतु राज्य स्तर पर एक दिवसीय कार्यशाला बिहार पुलिस अकादमी के सहयोग से दिनांक 10.08.2018 को पटना में आयोजित की गयी। इस कार्यशाला के दौरान समूह चर्चा एवं गहन विचार विमर्श के उपरांत बिहार पुलिस पदाधिकारियों के "आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन" विषय पर प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित आवश्यकताएं उभर कर सामने आयीं:—

(1). प्राकृतिक आपदाओं में पुलिस की भूमिका

(2). मानवजनित आपदाओं में पुलिस की भूमिका

(3). भीड़ नियंत्रण/प्रबंधन में पुलिस की भूमिका

(4). अंतर्स्थानीय समन्वय में पुलिस की भूमिका

तद्नुसार मॉड्यूल निर्माण एवं प्रशिक्षण पुस्तिका का निर्माण किया गया।

10. दुर्घटना प्रवण (Black Spots) क्षेत्रों में जागरुकता एवं प्रचार–प्रसार

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सड़कों पर चिन्हित किये गये दुर्घटना प्रवण क्षेत्रों (Black Spots) में जन जागरुकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु कार्रवाई की योजना बनाने हेतु एक बैठक का आयोजन दिनांक 14.08.2018 को किया गया। इस बैठक में परिवहन विभाग, पुलिस (CID), पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण कार्य विभाग के पदाधिकारियों ने भाग लिया । बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अति दुर्घटना प्रवण जिलों यथा मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में चयनित स्थलों पर जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार हेतु परिवहन विभाग द्वारा एक प्रचार वाहन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे सड़क सुरक्षा नियमों के प्रचार–प्रसार हेतु लघु फिल्मों को समुदाय में दिखाया जाएगा। लघु फिल्मों के साथ–साथ इन स्थानों पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा के नियमों का प्रचार–प्रसार किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन उल्लिखित विभागों के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों के समन्वयन में गठित टीम द्वारा किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा तैयार किये गए सड़क सुरक्षा संबंधी (Do's and Don'ts) नियमों को परिवहन विभाग, जिला प्रशासन एवं अन्य संबंधित विभागों के सहयोग से चिन्हित स्थानों पर पोस्टर्स एवं होर्डिंग लगाये जाएंगे। बैठक में लिए गए निर्णयों पर संबंधित विभागों द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

11. स्थापना दिवस समारोह 2018

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का स्थापना दिवस समारोह 06 नवम्बर, 2018 को मनाया गया। अधिवेशन भवन, पटना में आयोजित इस समारोह का विषय था "सुरक्षित (Resilient) आधारभूत संरचना" का विकास। स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन मा0 मुख्यमंत्री बिहार–सह–प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर उन्होंने बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व राज्य द्वारा आपदा प्रबंधन के लिए हो रहे काम–काज की विस्तार से चर्चा करते हुए राज्य में हो रहे भूकंपरोधी भवन निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। राज्य में हो रहे भूकम्परोधी भवन निर्माण की जानकारी दी।

माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को विश्व का सबसे बड़ा और राज्य के प्रमुख अस्पताल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। इसके छत पर हेलीपैड का निर्माण कराया जायेगा जो आपात स्थिति में काम आयेगा। उन्होंने कहा कि 5462 बेड का यह अस्पताल सरदार पटेल भवन के बाद दूसरा सबसे बड़ा भूकंपरोधी भवन होगा जहां हेलिकॉप्टर लैंड कर सकेगा। मा0 मुख्यमंत्री ने कहा सरदार पटेल भवन नौ मैगनीच्यूड के भूकंप में भी सुरक्षित रहने वाला भवन है।

इस भवन के छत पर हेलीपैड बनाया गया जो किसी भी आपदा के दौरान अनवरत बचाव कार्य चलाते रहने में कारगर होगा। इस भवन में बिना किसी सपोर्ट के 12 दिनों तक बिजली–पानी की सुविधा मिलती रहेगी।

स्थपना दिवस समारोह के मौके पर अधिवेशन भवन और परिसर में लगाये गए विभिन्न प्रकार के आपदा प्रबंधन से संबंधित होर्डिंग का उन्होंने अवलोकन भी किया। इस दौरान मा0 मुख्यमंत्री के साथ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, सदस्य श्री पी0एन0 राय समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे।

इस एक दिवसीय स्थापना दिवस समारोह के मौके पर आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री मा0 श्री दिनेश चंद्र यादव, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी, सदस्य श्री पी0एन0 राय समेत विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारी, आपदा प्रबंधन से संबंधित स्वयंसेवक समेत अन्य अधिकारी–कर्मचारी मौजूद थे।

12. सोनपुर मेला 2018

आपदा प्रबंधन मंत्री श्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि बिहार आपदा प्रभावित राज्य है। यहां बाढ़, सुखाड़ जैसी आपदा तो हमेशा आती रहती है साथ ही भूकंप आने की भी आशंका बनी रहती है। उन्होंने कहा कि विभाग का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि आपदा से लोगों को बचाएं साथ ही आपदा पीड़ित परिवारों की सहायता करें। आपदा के बारे में आम लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है। राज्य सरकार लोगों को राहत देने के लिए संकल्पित है। सारण जिले के सोनपुर में 21 नवम्बर से 22 दिसम्बर तक आयोजित विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला 2018 में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए मा० मंत्री श्री दिनेश चंद्र यादव ने कहा कि प्राकृतिक आपदा को तो रोका नहीं जा सकता, पर लोगों को जागरूक कर क्षति को कम किया जा सकता है। आपदा के बाद पूरी तत्परता से राहत के लिए राज्य सरकार संकल्पित है। पीड़ितों को कम परेशानी हो एवं आपदा के बाद उन्हें बेहतर तरीके से राहत मिल सके यह सरकार की कोशिश रहती है। सरकार आपदा प्रबंधन के लिए रोड मैप तैयार कर विस्तृत कार्य योजना बना रही है। आपदा के समय जिम्मेवारी तय करने के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रशिक्षित करने का काम जारी है। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए कहा कि हमें आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह जागरूक होना होगा।

इस मौके पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री व्यास जी ने कहा कि सुखाड़, अगलगी एवं भूकंप जैसी आपदाओं से मुकाबला करने के उद्देश्य से ही सोनपुर मेला में प्राधिकरण ने प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से आपदा से बचाव के तरीके एवं प्राधिकरण की ओर से किए जा रहे कार्यों को विस्तार से प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि आपदाओं से निपटने के लिए लोगों को हर स्तर की जानकारी मिले।

इस प्रदर्शनी में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, बिहार अग्निशमन आदि की टीम अपनी सुरक्षा उपकरणों एवं जुगाड़ टेक्नोलॉजी से लोगों को परिचित कराए। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक सहित कई अन्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

इस मौके पर नदी किनारे एवं बाढ़ प्रभावित गांव के छात्रों, युवाओं एवं आमजनों को तैराकी एवं डूबने से बचाव के तरीके का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि प्रशिक्षित तैराक खुद तैर सकें और डूबने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित बचा सकें। समारोह में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य डा0 उदयकांत मिश्र, श्री पी0 एन0 राय, ए0डी0एम0 श्री भरत भूषण प्रसाद आदि मौजूद थे। मेला परिसर में प्राधिकरण द्वारा आयोजित प्रदर्शनी को बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया।

13. "Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships"

"Urban Climate Resilience : The Context of River Basins : Urban- Peri Urban Ecosystem, Inclusive Governance and Partnerships" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, बिहार सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन संस्थान (NIDM) भारत सरकार एवं गोरखपुर एनवायरन्मेन्टल एक्शन ग्रुप (GEAG) के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 27–28 नवम्बर 2018 को होटल मौर्या, पटना में आयोजित इस संगोष्ठी का उद्घाटन श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार ने किया। उन्होंने "वायु प्रदूषण पर पटना घोषणा पत्र" का विमोचन किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत में तेजी से बढ़ते शहरीकरण

के क्रम और इसके कारण उत्पन्न हो रही चुनौतियों पर त्वरित ध्यान दिया जाना आवश्यक है। द्वितीयक श्रेणी के शहरों में अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि हो रही है। पूर्वी भारत के गंगा–ब्रह्मपुत्र घाटी क्षेत्र में अवस्थित राज्य जलवायु परिवर्तन के कारण संवेदनशील है। इस क्षेत्र के शहरों में खतरों व जोखिम सम्बन्धी अनेक समानताएं भी हैं।

भारत सरकार के ऐसे प्रमुख कार्यक्रम जो शहरों के विकास व उन्हें बेहतर, स्मार्ट व समावेशी बनाने पर केन्द्रित कार्यक्रमों, स्थाई विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.), आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु सेन्डई फ्रेमवर्क व न्यू अर्बन एजेण्डा 2030, इन सभी के उद्देश्यों में आपसी जुड़ाव निहित है। इसे चिन्हित व क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। इस पृष्ठभूमि में एक स्पष्ट रोडमैप जरूरी है जो देश के शहरों को जलवायु परिवर्तन व आपदाओं से निपटने हेतु सशक्त कर सके।

संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य शहरी सुरक्षा के समावेशी व व्यवहारिक प्रयासों हेतु अनुभवों की साझेदारी करने का अवसर प्रदान करना था जिससे जलवायु परिवर्तन अनुकूलन व आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा इनके मध्य सामंजस्य को सशक्त करने की जमीनी प्रयास किया जा सके। संगोष्ठी में राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभिन्न विभागों/एजेंसियों, राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों एवं विभिन्न संस्थानों–गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

14. भूकंप सुरक्षा सप्ताह (15–21 जनवरी 2019)

बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2012 में जारी संकल्प के क्रम में 15–21 जनवरी 2019 तक भूकम्प सुरक्षा सप्ताह का आयोजन पूरे राज्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुरक्षा सप्ताह के दौरान 02 दिन राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों जिनमें दो हिन्दी एक अंग्रेजी व उर्दू के समाचार पत्र शामिल हैं, में भूकम्प सुरक्षा एवं सुरक्षित निर्माण आधारित एडवाइजरी प्रकाशित की गयी। पटना के महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों जैसे निफ्ट पटना, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के ए0एन0 कॉलेज और पटना विश्वविद्यालय के पटना वीमेन्स कॉलेज में भूकम्प सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। ए0एन0 कॉलेज एवं पटना वीमेन्स कॉलेज में करीब 4000–4000 विद्यार्थी शामिल हुए। पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज परिसर में भी भूकम्प सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया जिसमें शिक्षकों, डॉक्टरों के अलावा मरीजों के परिजनों ने भी भाग लिया। सभी मॉकड्रिल बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के तत्वावधान में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, स्वास्थ्य विभाग, ट्रैफिक पुलिस, अग्निशाम सेवाएं, पुलिस विभाग और रूबन हॉस्पीटल के सहयोग से किया गया। भूकम्प सुरक्षा को लेकर दिनांक 20 जनवरी, 2019 को पटना के ए0एन0 कॉलेज से राजधानी वाटिका (इको पार्क) तक भूकम्प सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। साथ ही दिनांक 21 जनवरी, 2019 को इको पार्क में करीब 400 छात्र–छात्राओं के बीच भूकम्प सुरक्षा विषय पर पेंटिग एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों के छात्र–छात्राओं के बीच क्विज का भी आयोजन किया गया। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पटना के विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया।

15. भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल

सेन्ट्रल मॉल, पटना में मॉकड्रिल में शामिल मॉल के कर्मचारी

बिहार सरकार द्वारा वर्ष, 2012 में जारी संकल्प के क्रम में 15–21 जनवरी तक भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन पूरे राज्य में बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा गया। इसी क्रम में पटना के विभिन्न कार्यालयों/अस्पतालों/अपार्टमेंट/मॉल आदि में भूकंप सुरक्षा मॉकड्रिल के आयोजन के निर्णय के तहत फ्रेजर रोड, पटना स्थित सेंट्रल मॉल में भूकंप एवं अग्नि सुरक्षा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। तीन दिनों तक आयोजित मॉकड्रिल में एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, पटना ट्रैफिक पुलिस, बिहार अग्निशाम सेवाएं, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन एवं रूबन हॉस्पीटल का सहयोग मिला। इस मॉकड्रील में 400 दुकानदारों तथा आम नागरिकों ने हिस्सा लिया। मॉकड्रिल में घायलों को ढूंढ़ने में केनाईन डॉग की मदद ली गयी।

16. छठ पूजा का आयोजन: परिचर्चा एवं प्रलेखन

छठ पूजा 2018 के आयोजन के लिए पटना जिले की चिन्हित छठ पूजा समितियों द्वारा की गई तैयारियों के बारे में परिचर्चा हुई। भविष्य में होने वाली छठ पूजा की तैयारियों के संबंध में आवश्यक विमर्श/सुझावों के लिए दिनांक 18.01.2019 को प्राधिकरण के सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। पूजा समिति के सदस्यों द्वारा छठ पूजा 2018 के आयोजन हेतु की गयी तैयारियों एवं किये गए सुरक्षा के उपायों के संबंध में अपने अनुभव साक्षा किये। इस परिचर्चा में छठ पूजा को आपदा रहित सम्पन्न करने हेतु प्रलेखन का कार्य किया गया।

17. सड़क सुरक्षाः नुक्कड़ नाटक का आयोजन (04–09 फरवरी 2019)

प्राधिकरण द्वारा संकल्प ज्योति, AIIMS Patna, जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा (प्रेरणा), निर्माणकला मंच एवं दोस्ताना सफर संस्थाओं के सहयोग से कार्यशाला, सी0पी0आर0– अस्पताल पूर्व चिकित्सा, प्रशिक्षण एवं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम लोगों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी गयी। नुक्कड़ नाटक मंडली द्वारा पटना के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में समुदाय के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण का कार्य किया गया। 04 से 09 फरवरी 2019 तक राजधानी पटना के विभिन्न जगहों पर आयोजित अभियान में 41 जगहों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया इसमें 6028 लोगों ने भाग लिया।

18. केरल बाढ़ः एक दिवसीय अनुभव शेयरिंग कार्यशाला (05.02.2019)

केरल में वर्ष 2018 में आये बाढ़ के दौरान किए गए राहत कार्य, बचाव नुकसान का आकलन और पुनर्वास के दौरान किये गये कार्यों के अनुभव एवं सीखों को साझा करने के उद्देश्य से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया।

दिनांक 05.02.2019 बिहार म्यूजियम, पटना के संवाद कक्ष में आयोजित अनुभव साझा कार्यक्रम में श्री व्यास जी, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा बिहार में बाढ़ आपदा के दौरान राहत कार्य और बचाव, नुकसान का आकलन और पुनर्वास के लिए बनाये गये मानक प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी दिया। केरल बाढ़ के दौरान राहत कार्यों में शामिल अधिकारियों एवं स्वंयसेवी संस्थाओं के सदस्यों ने केरल बाढ़ के दौरान राज्य सरकार एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा किए गए कुछ अच्छे कार्यों की जानकारी दी। ऐसे अधिकारियों से बिहार के पदाधिकारियों को अनुभव साझा करने का अनुरोध किया गया ताकि बिहार में भी बाढ़ के दौरान एवं बाद में इस सीख को मानक प्रक्रिया में लाया जा सके।

कार्यक्रम में श्री विनोद मेनन, फाउंडर मेम्बर, एन.डी.एम.ए. ने अगस्त 2018 में केरल में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा के कारण आई बाढ़ पर कहा कि यह केरल में एक शताब्दी में आयी सबसे विकराल बाढ़ थी, इस बाढ़ में अबतक 373 से अधिक लोग मारे गये तथा 2,80,679 से अधिक लोगों को विस्थापित होना पड़ा। राज्य के सभी 14 जिलों को हाई एलर्ट पर रखा गया था। केरल सरकार के अनुसार राज्य की 1/6 जनसंख्या बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुई। केन्द्र सरकार ने इस त्रासदी को स्तर तीन की आपदा घोषित किया। अत्यधिक वर्षा व बाढ़ के कारण राज्य के इतिहास में पहली बार 42 में से 35 बांधों के द्वारों को खोल दिया गया। 26 सालों में पहली बार इडक्की बांध के सभी पांच द्वारों को खोला गया। इस कारण से पर्वतीय जिले वायनाड का सम्पर्क राज्य के अन्य हिस्सों से पूरी तरह से कट गया। उन्होंने केरल सरकार द्वारा बचाव, राहत एवं पुनर्वास के संबंध में किए गए विविध नवाचारों से अवगत कराया।

कार्यक्रम में डॉ यू0 के0 मिश्र, सदस्य, श्री पी0 एन0 राय, सदस्य, फादर पॉल, कैरिटास के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ एवं बिहार सरकार के विभिन्न विभागों, स्वंयसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि एवं यूनिसेफ के प्रतिनिधि शामिल हुए एवं अनुभव साझा किये।

यूनिसेफ, बिहार की टीम जो इस बाढ़ में केरल में थी। फादर पॉल ने भी विभिन्न जिलों में राज्य सरकार, समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाओं एवं स्थानीय प्रशासन द्वारा किए गए कार्य की चर्चा की।. इस कार्यशाला में उभरे बिन्दुओं का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है जिसे राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग सहित अन्य सभी संबंधित विभागों के साथ साझा किया जाएगा।

19. "सड़क सुरक्षा –जीवन रक्षा": चित्रकारी एवं नारा लेखन प्रतियोगिता

सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान दिनांक 08.02.2019 को राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, पटना में विद्यालय संगठन, पटना सिटी के सहयोग से 15 विद्यालयों के लगभग 500 छात्र–छात्राओं के बीच "सड़क सुरक्षा –जीवन रक्षा" विषय पर चित्रकारी एवं नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रस्तुतीकरण करने वाले छात्र–छात्राओं को चयनित कर पुरस्कृत किया गया।

(I) ऑटो चालकों एवं समुदाय के बीच स्वास्थ्य जाँच शिविर एवं प्राथमिक उपचार विषय पर प्रशिक्षण (08 एवं 09 फरवरी 2019)

प्राधिकरण द्वारा बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ (एक्टू), AIIMS एवं बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, पटना के सहयोग से दिनांक 08 एवं 09 फरवरी 2019 को ऑटो चालकों एवं अन्य समुदाय के लिए सामान्य स्वास्थ्य जाँच, आँख जाँच एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आजाद टेम्पू स्टैंड, पटना रेलवे स्टेशन पर किया गया। इस कार्यक्रम में 380 लोगों को सामान्य स्वास्थ्य जांच, आँख जांच, सी.पी.आर. प्रशिक्षण, पूर्व अस्पताल चिकित्सा विषय पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्राधिकरण द्वारा ऑल इंडिया रोड ट्रांस्पोर्ट वर्कर्स फेडरेशन/बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ एवं पटना जिला ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ के सहयोग से पटना जिले में ऑटो/टेम्पू के माध्यम से सड़क सुरक्षा विषय पर प्रचार–प्रसार सामग्रियों की सहायता से समुदाय के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण का कार्य किया गया। बिहार राज्य परिवहन मित्र कामागार संघ के सहयोग से राज्य के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा संबंधी जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किये गए।

(II) सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली (10 फरवरी, 2019)

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 10.02.2019 को एन.डी.आर.एफ. और एस.डी.आर.एफ., बिहार पुलिस, कम्यूनिटी ट्रैफिक पुलिस, युगांतर, संकल्प ज्योति एवं रोटरी क्लब के सहयोग से लगभग 300 लोगों की भागीदारी में सड़क सुरक्षा विषय पर रैली का आयोजन किया गया। यह रैली शिवाजी पार्क, कंकड़बाग से प्रारंभ होकर शालीमार चौराहा, लोहिया पार्क, श्री राम अस्पताल, स्व0 मंजू सिन्हा पार्क होते हुए पाटलिपुत्र खेल परिसर के बाद पुनः शिवाजी पार्क में आकर समाप्त हुई। इस जागरूकता रैली के दौरान रास्ते में लोगों के बीच जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार सामग्रियों का वितरण किया गया। दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाने की सलाह दी गयी।

(III) बीमा कंपनियों द्वारा Claims Settlement:

प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह 2019 की तैयारी बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में यूनाईटेड इंडिया इन्श्योरेंस कं0 लि0 द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान कुल 379 claims एवं भारतीय जीवन बीमा नि0 लि0 द्वारा कुल 20 claims का settlement किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा के उपाय एवं इनश्योरेंस claims settlement किये जाने हेतु प्रक्रियाओं एवं आवश्यक कागजात के संबंध में जागरूकता के लिए आवश्यक सलाह का प्रकाशन सप्ताह के दौरान प्रमुख हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में किया गया।

(IV) सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम (23 फरवरी से 30 मार्च, 2019)

प्राधिकरण द्वारा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, संकल्प ज्योति एवं जनवादी सांस्कृतिक मोर्चा (प्रेरणा) आदि संस्थाओं के सहयोग से कार्यशाला, नुक्कड़ नाटक एवं मानव श्रृंखला के माध्यम से सड़क सुरक्षा के संबंध में पटना के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों एवं समुदाय के बीच जागरूकता एवं संवेदीकरण का कार्य किया गया। 23 फरवरी, 2019 से 30 मार्च, 2019 तक राजधानी के विभिन्न शिक्षण संस्थानों में आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में 2477 छात्र/छात्राओं एवं शिक्षक/शिक्षिकाओं ने भाग लिया।

(V.) जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम की तैयारी बैठक

प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 28.02.2019 को विभिन्न जिलों में हाई स्कूल, महाविद्यालयों एवं चिन्हित ऑटो/बस स्टैंड्स पर सड़क सुरक्षा के विभिन्न आयामों के संदर्भ में जागरूकता एवं प्रचार–प्रसार के उद्देश्य से परिवहन विभाग एवं अन्य हितभागियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जिला स्तर पर पूरे वर्ष आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लिये गए।

20. टेलकम सेवा प्रदाताओं की भूमिका निर्धारण के लिए बैठक

प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 06.03.2019 को "Communication during Crisis and Resilient Communication : Role of Telecom Service Providers" विषय पर बैठक का आयोजन

किया गया। जिसमें बिहार एल0एस0ए0, बी0एस0एन0एल0, वोडाफोन, रिलांयस, एयरटेल एवं टी0 टी0 एल0 एल0 सहित सभी संबंधित विभाग जैसे आपदा प्रबंधन विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, जल संसाधन विभाग, केंद्रीय जल आयोग, बिहार पुलिस, एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, नागरिक सुरक्षा, एयरपोर्ट प्राधिकरण एवं भारतीय मौसम विभाग आदि के पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में जानकारी मिली कि आपदाओं में प्रत्युत्तर (response) हेतु दूरसंचार विभाग (DOT) के द्वारा मानक संचालक प्रक्रिया बनाई गई है। इसके अनुसार कार्रवाई होने से आपातकाल के दौरान संवाद कायम रखने में तथा आपातकाल के पहले तैयारी रखने में बहुत सहायता मिलेगी। SOP में license service area को आपातकाल योजना बनाने से लेकर सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय रखने की जिम्मेदारी दी गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि Bihar license service area इस SOP को मूल रूप में लागू कराये। इस कार्य हेतु संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों की समिति का गठन किया जिसका संयोजक श्री शंकर प्रसाद, निदेशक, प्रौद्योगिकी, बिहार एल0 एस0 ए0, टेलीफोन भवन, पटना को बनाया गया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि निदेशक, प्रोद्यौगिकी, बिहार एल0 एस0 ए0 के समन्वयन में प्रति 06 महीने में दूरभाष सेवा प्रदाताओं द्वारा नियोजित गतिविधियों की समीक्षा की जाये जिससे दूरभाष सेवाओं से संबंधित तंत्र में सक्रियता सुनिश्चित हो सके।

21. अद्यतन प्रशिक्षण मॉड्यूल

सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण एवं समुदाय स्तर पर 06–18 वर्ष बालक/बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु NINI,SDRF,UNICEF एवं NDRF के सहयोग से प्रत्येक मॉड्यूल तैयार किया गया। इसमें प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये तैराकी सिखाने के तरीकों के अतिरिक्त सहायता एवं बचाव के तरीकों, प्राथमिक उपचार और देखभाल, बंशी–जाल एवं झग्गड़/काँटा से डूबते हुए व्यक्ति/सामग्रियों की तालाश, बाल सुरक्षा, सर्पदंश प्रबंधन आदि विषयों के विभिन्न पहलुओं को समाहित किया गया जिसका प्रस्तुतीकरण प्राधिकरण कार्यालय में दिनांक 27.03.2019 एवं 28.03.2019 को किया गया। बैठक में दिये गये सुझावों के आलोक में प्रशिक्षण मॉड्यूल को अद्यतन किया गया।

प्राधिकरण द्वारा संचालित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

1. अभियंताओं/राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित प्रशिक्षण

बिहार राज्य के सभी जिले भूकम्प के दृष्टि से संवेदनशील हैं। राज्य के 8 जिले भूकम्प के सर्वाधिक खतरनाक जोन–V में आते हैं एवं 24 जिला जोन–IV तथा 6 जिले जोन–III के अंतर्गत आते हैं। यह सर्वविदित है कि भूकम्प के कारण लोग नहीं मरते, अपितु कमजोर भवनों के ढहने के कारण लोगों की मृत्यु होती है। इस परिप्रेक्ष्य में बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 एवं माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के निदेशों के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा भवनों के सुरक्षित निर्माण हेतु अभियंताओं एवं राजमिस्त्रियों का भूकम्परोधी निर्माण तकनीक से संबंधित वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक राज्य के 16 जिलों के 5058 राजमिस्त्रियों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। साथ ही कुल 17 जिलों में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत कुल 1403 अभियंताओं को भी प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निरन्तर जारी है तथा राजमिस्त्रियों के उत्साह एवं मांग को देखते हुए इसे लगातार संचालित करने की आवश्यकता बनी हुई है।

2. बिहार राज्य टेलिमेट्री नेटवर्क की स्थापना

राज्य में टेलिमेट्री नेटवर्क की स्थापना की जा रही है। इसके अन्तर्गत 10 जिलों में वेधशालाओं की स्थापना होना है जिनमें 6 जिलों यथा पूर्वी चम्पारण/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर /छपरा/पटना एवं पूर्णिया में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। पटना विश्वविद्यालय के साइंस कॉलेज में केन्द्रीय संग्रहण स्टेशन स्थापित करने के संबंध में प्राधिकरण एवं पटना विश्वविद्यालय के साथ गत फरवरी माह में एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित हो गया है तथा निर्माण हेतु बिहार राज्य भवन निर्माण निगम द्वारा संवेदक का चयन कर लिया गया है। निर्माण कार्य शीघ्र ही प्रारम्भ होने की आशा है। क्षेत्रीय वेघशाला एवं संग्रहण स्टेशन का निर्माण सम्पन्न हो जाने पर मशीनों का क्रय एवं अधिष्ठापन किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति से आवश्यक मशीनों का निर्धारण करा लिया गया है। इस नेटवर्क के संचालन हेतु आवश्यक पद स्वीकृत है, जिन पर पदस्थापन हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।

3. भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक की स्थापना

बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रोडमैप 2015–30 के आलोक में राज्य के दो जिलों सीतामढ़ी एवं मुजफ्फरपुर में क्रमशः राजकीय पोलिटेक्निक, सुरसंड (सीतामढ़ी) तथा मुजफ्फरपुर अभियंत्रण संस्थान में भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक की स्थापना की गई है। ऐसे ही क्लिनिक की स्थापना अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर में की जा रही है। इस वर्ष अन्य कई जिलों में भी भूकम्प सुरक्षा क्लिनिक की स्थापना की जाएगी।

4. मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा शिक्षा विभाग के सहयोग से राज्य के सभी सरकारी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में विद्यालय सुरक्षा पखवाड़ा आयोजित किया जाता रहा है। बिहार राज्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में वर्णित सुरक्षित शनिवार की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु जनवरी, 2018 से राज्य के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को चेतना सत्र में आपदा प्रबंधन से संबंधित विभिन्न गतिविधियां संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह है कि घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक विभिन्न आपदाओं का बच्चों के जीवन पर पड़ने वाले कुप्रभावों, नियमित शिक्षा में आने वाली बाधाओं तथा इससे होने वाले नुकसान में काफी हद तक कमी लायी जाए। प्राधिकरण में सहभागी प्रक्रिया द्वारा इस कार्य हेतु अवधारणा पत्र तथा प्रशिक्षण सामग्री विकसित की गयी तथा राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक तैयार किये गए। उक्त सामग्री एवं राज्य स्तरीय मास्टर प्रशिक्षकों का उपयोग कर विभिन्न जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा नामित 605 मास्टर प्रशिक्षकों को राज्य स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षा विभाग ने इन मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षक तैयार कर प्रत्येक विद्यालय में इस कार्यक्रम के संचालन हेतु फोकल शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई की। शिक्षा विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार सुरक्षित शनिवार का कार्यान्वयन अभी तक राज्य के 47509 विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। कार्यक्रम में तेजी लाने हेतु प्राधिकरण द्वारा पटना जिले के निजी विद्यालयों के कुल 937 फोकल शिक्षकों को सीधे प्रशिक्षण दिया गया तथा गत जून माह में राज्य के सभी शिक्षा विभागीय पदाधिकारियों का प्रमंडल स्तरीय उन्मुखीकरण किया गया। साथ ही प्रत्येक विद्यालय में बाल प्रेरकों को चिन्हित कर उन्हें इस कार्यक्रम में फोकल शिक्षक के साथ बाल शिक्षक की भूमिका के निर्वहन हेतु शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्राधिकरण में उनके प्रशिक्षण हेतु गतिविधि आधारित सामग्री विकसित की गयी है। प्राप्त सूचनानुसार अभी तक लगभग 202795 बाल प्रेरक प्रशिक्षित किये जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है तथा मदरसा बोर्ड से सम्पर्क कर राज्य के मदरसों में भी इस कार्यक्रम को संचालित करने हेतु तैयारियां की जा रही हैं। प्राधिकरण का विश्वास है कि यदि 3–4 वर्षों तक सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम राज्य के सभी विद्यालयों में संचालित किया जाए तो आपदा से सुरक्षित बिहार बनाने की दिशा में राज्य महत्वपूर्ण कदम होगा।

5. त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण

माननीय मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 में प्राधिकरण के स्थापना दिवस पर निदेश दिया था कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है। इस निदेश के अनुसरण में प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी तथा जनवरी, 2018 से राज्य में पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। आपदा प्रबंधन में समुदाय पहला रेस्पॉन्डर होता है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप में सुरक्षित गांव के घटक के अन्तर्गत भी पंचायतों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। पंचायत प्रतिनिधियों की आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में जागरूकता एवं क्षमतावर्द्धन से स्थानीय समुदाय को आपदाओं से सुरक्षित रखने में काफी लाभ हो सकता है। इस समझ के साथ प्राधिकरण द्वारा सहभागी प्रक्रिया से प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी तथा जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक प्रखंड से चयनित एक–एक मुखिया एवं सरपंच को राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक का 2 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस क्रम में कुल 996 मुखिया/सरपंच को मास्टर प्रशिक्षक का प्रशिक्षण दिया गया। इन मास्टर प्रशिक्षकों के माध्यम से प्रखंड स्तर पर सभी पंचायत प्रतिनिधियों यथा, मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य/पंच/पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्यों का एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु जिलों को आवश्यक वित्तीय सहयोग तथा प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करायी गयी। पंचायती राज विभाग से प्राप्त सूचनानुसार राज्य में कुल 2.40 लाख से भी अधिक पंचायत प्रतिनिधि हैं। कोशिश है कि इन सभी को प्रशिक्षित कर दिया जाए। जिलों से प्राप्त आंकड़ों के अनुश्रवण से ज्ञात हुआ है कि 13 जिलों में कुल 71464 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित कर दिया गया है। जिलों में 150 जिला परिषद् सदस्य, 2435 पंचायत समिति सदस्य, 2019 मुखिया, 2340 सरपंच, 25614 वार्ड, 23613 पंच कुल 56171 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रखंड प्रमुख एवं जिला पर्षद अध्यक्षों का प्रशिक्षण : पंचायत प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण एवं क्षमतावर्द्धन के क्रम में प्राधिकरण द्वारा प्रखंड प्रमुख एवं जिला पर्षद अध्यक्षों के प्रशिक्षण की कार्रवाई प्रारंभ की गयी । चूंकि ये प्रतिनिधि क्रमशः प्रखंड एवं जिला स्तर पर नेतृत्वकारी भूमिका में होते हैं, अतएव सहभागी प्रक्रिया एवं पंचायती राज विभाग के सहयोग से उनके लिए अलग से प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी तथा उनका प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अभी तक कुल 246 प्रमुख एवं 16 जिला पर्षद अध्यक्षों का प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है।

6. आपदाओं में पशुधन का प्रबंधन विषयक पशु चिकित्सकों का प्रशिक्षण

राज्य में पशुधन आजीविका के महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में चिन्हित है। बाढ़, आग, सुखाड़, गर्म हवाएं, शीतलहर जैसी आपदाओं से पशु भी प्रभावित होते हैं तथा कई बार मृत भी हो जाते हैं। अतएव इन आपदाओं में पशुओं के प्रबंधन संबंधी पशु चिकित्सकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए प्राधिकरण में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग तथा बिहार वेटनरी कॉलेज के सहयोग से उनके प्रशिक्षण का वृहद् कार्यक्रम तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के संस्थाओं एवं विशेषज्ञों का भी सहयोग लिया गया है। सर्वप्रथम सहभागी प्रक्रिया द्वारा पशु चिकित्सकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता का आकलन किया गया तथा प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामग्री तैयार की गयी। इस प्रकार तैयार मॉड्यूल एवं सामग्री के अनुसार पशु चिकित्सकों का 4 दिवसीय प्रशिक्षण बिहार भेटनरी कॉलेज में संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक कुल 791 पशु चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया गया है। शेष के प्रशिक्षण के लिए कैलेन्डर तैयार कर लिया गया है।

7. सुरक्षित नौका परिचालन संबंधी प्रशिक्षण

राज्य की नदियों में नौका परिचालन बहुतायत से होता है। नौका परिचालन के क्रम में नाव दुर्घटनाएं भी होती रही हैं जिनमें बहुमूल्य मानव जिन्दिगियां काल के गाल में समा जाती हैं। राज्य के 29 जिलों से होकर कोई–न–कोई नदी बहती है जिनमें नाव का परिचालन किया जाता है। हालांकि परिवहन विभाग ने सुरक्षित नौका परिचालन हेतु आदर्श नौका नियमावली का गठन वर्ष 2011 में किया है, परन्तु इसका अनुपालन पूर्णरूपेण नहीं हो पाया है। बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप 2015–30 में भी नाव दुर्घटना तथा उससे होने वाली मौतों में पर्याप्त कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा सुरक्षित नौका परिचालन हेतु कार्य योजना तैयार की गयी। इस कार्य योजना के अनुसरण में नाविकों एवं नाव मालिकों के प्रशिक्षण हेतु सहभागी प्रक्रिया द्वारा प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी तथा राष्ट्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन संस्थान (नीनी) के सहयोग से सर्वप्रथम 29 जिलों के चयनित कुल 163 नाविकों को वर्ष, 2017 के जुलाई से दिसम्बर माह तक मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया गया। जिलों द्वारा इन मास्टर ट्रेनर तथा आपदा प्रबंधन विभाग के वित्तीय सहयोग से विभिन्न घाटों पर नाव परिचालन करने वाले नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम चलाया गया। प्राप्त सूचनानुसार नालन्दा जिला को छोड़ कर शेष सभी 27 जिलों में यह प्रशिक्षण सम्पन्न हो चुका है तथा मार्च 2019 तक कुल 5324 नाविकों एवं नाव मालिकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

इसी क्रम में नौकाओं के निबंधन हेतु आदर्श नौका नियमावली के अनुसार जिला पदाधिकारियों द्वारा नामित निबंधकों एवं सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु मॉड्यूल तथा प्रशिक्षण सामग्री का

निर्माण सहभागी प्रक्रिया द्वारा नीनी के सहयोग से किया गया। तद्नुसार निबंधकों एवं सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण "नीनी" में जारी है। अब तक कुल 22 बैचों में 24 अति बाढ़ प्रवण एवं बाढ़ प्रवण जिलों के कुल 494 निबंधकों/सर्वेक्षकों का प्रशिक्षण सम्पन्न कराया जा चुका है।

8. डूबने से होने वाली मौतों की रोकथाम एवं शमन संबंधी प्रशिक्षण

राज्य में नदियों, तालाबों के बहुतायत के कारण उनमें स्नान, बाढ़ एवं पूजा–पाठ के दौरान डूबने से काफी मौते होती हैं। डूबने से होने वाली इन मौतों को प्राधिकरण में गंभीरता से लेते हुए इनमें कमी लाने के कार्य योजना का सूत्रण किया गया । उक्त कार्य योजना के अनुसार जागरूकता के अलावा बांग्लादेश की तर्ज पर ''सुरक्षित तैराकी'' कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित तैराकी कार्यक्रम के अन्तर्गत नदी किनारों के 5 किलोमीटर की सीमा में अवस्थित गांवों/मुहल्लों के 6–18 वर्ष आयुवर्ग के बालक/बालिकाओं को 9 दिवसीय तैराकी का प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स द्वारा दिया जाएगा। मास्टर ट्रेनर्स एवं प्रशिक्षुओं के तैराकी प्रशिक्षण का मॉड्यूल एवं सामग्री तैयार कर ली गयी है।

9. मार्गदर्शिका का निर्माण

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत प्राधिकरण को विभिन्न आपदाओं की रोकथाम, शमन, तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन के संबंध में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के लिए मार्गदर्शिका (गाइड लाईन्स) निर्गत करने की शक्ति प्रदत्त है। इसके अन्तर्गत अभी तक सुरक्षित नौका परिचालन, डूबने से होने वाली मौतों, गर्म हवाएं/लू, एवं अगलगी की रोकथाम एवं शमन के संबंध में मार्गदर्शिका सहभागी प्रक्रिया द्वारा विकसित की गयी है। साथ ही मार्गदर्शिका के अनुसरण में कार्य करने हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिया जा रहा है एवं प्राधिकरण स्तर पर भी अग्रेत्तर कार्रवाई की जा रही है। इनके अतिरिक्त भूकम्प एवं वज्रपात आपदा के शमन, तैयारी एवं क्षमतावर्द्धन के संबंध में मार्गदर्शिकाओं का प्रथम प्रारूप तैयार कर लिया गया है।

10. बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर व्यवसायिक प्रशिक्षण

बिहार प्रशासनिक सेवा के क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय पदाधिकारी आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। परन्तु उन्हें आपदा प्रबंधन की पूर्णरूपेण जानकारी नहीं होने के कारण वे उक्त कार्यों में प्रायः दक्ष नहीं हो पाते हैं। बिहार एक बहुआपदा प्रवण राज्य है।

साथ ही आपदा प्रबंधन की अवधारणा में गत वर्षों में गुणात्मक परिवर्तन आये हैं। पहले आपदा प्रबंधन रिलिफ केन्द्रित होता था, परन्तु अब आपदाओं की रोकथाम, शमन, पूर्व तैयारी, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, रिस्पॉन्स एवं पुनर्निर्माण आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण घटक के रूप में चिन्हित है। इस परिप्रेक्ष्य में 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन' विषय पर इस सेवा के सभी पदाधिकारियों के क्षमतावर्द्धन हेतु प्राधिकरण स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। सर्वप्रथम सहभागी प्रक्रिया द्वारा इन पदाधिकारियों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन किया गया तथा प्रशिक्षण सामग्री तैयार की गयी। प्रशिक्षण सामग्री तैयार करने के बाद जनवरी, 2018 से इन पदाधिकारियों का 2 दिवसीय व्यावसायिक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से प्रारम्भ किया गया। अभी तक कुल 681 पदाधिकारियों का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। शेष पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु बिपार्ड द्वारा कैलेन्डर बना लिया गया है।

11. प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारियों का क्षमतावर्द्धन

माननीय मुख्यमंत्री ने जून, 2018 में बाढ़ पूर्व तैयारियों की समीक्षा के क्रम में निदेश प्राप्त हुआ था कि बाढ़ प्रवण जिलों में नवपदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारियों को आपदा प्रबंधन विषय पर प्रशिक्षण दिया जाए। तद्नुसार जुलाई, 2018 से प्रारम्भ कर अब तक ऐसे 293 प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी का आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन विषयक प्रशिक्षण बिपार्ड के सहयोग से पूरा किया गया है।

12. सामुदायिक स्वयंसेवकों का बाढ़ आपदा रिस्पाँस प्रशिक्षण

मानव जनित या प्राकृतिक आपदा के समय समुदाय प्रथम रिस्पांडर होता है। आपदाओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उससे होने वाली नुकसान एवं क्षति को कम से कम कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि समुदाय के लोगों को आपदा प्रबंधन एवं रिस्पाँस के लिए क्षमतावर्द्धन एवं प्रशिक्षण दिया जाय।

समुदाय क्षमतावर्द्धन एवं प्राधिकरण के लिए NDMA, नई दिल्ली द्वारा संपोषित "Training of Community Voluntreers for Disaster Response" का कार्यक्रम प्राधिकरण द्वारा नौवीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत फरवरी, 2019 तक सुपौल जिले के 200 एवं सीतामढ़ी जिले के 160 सामुदायिक स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 12 दिवसीय है। प्रतिभागियों का चयन संबंधित जिलों के प्रशासन द्वारा किया गया था। दोनों जिलों से 200-200 प्रतिभागी शामिल हुए। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की विशेषता यह रही है कि **राज्य एवं संभवतया देश में पहली बार 54 लड़कियों/महिलाओं ने इसमें भाग लेकर 12 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलता पूर्वक पूरा किया।** सभी महिला प्रतिभागी सीतामढ़ी जिले की हैं।

13. जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण

आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को अपने–अपने जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना का सूत्रण करना है। इन योजनाओं का अनुमोदन प्राधिकरण के स्तर से किया जाना है। परन्तु जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों की सीमित क्षमता के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार राज्य आपदा प्राधिकरण को सभी जिलों के लिए आपदा प्रबंधन योजना के निर्माण कराने का अनुरोध किया था। तद्नुसार प्राधिकरण स्तर से विशेषज्ञ एजेन्सियों के माध्यम से योजना निर्माण हेतु जिलों को आवश्यक तकनीकी सहयोग दिलवाया जा रहा है। प्राधिकरण द्वारा जिलों एवं एजेन्सियों को सहभागी प्रक्रिया द्वारा विकसित Template दिया गया है जिसके अनुसार योजना प्रारूप तैयार किया जा रहा है। प्राधिकरण स्तर से योजना निर्माण का गहन अनुश्रवण कर सुनिश्चित कराया जा रहा है कि योजना actionable एवं doable हो। अभी तक 10 जिलों से योजना का अंतिम प्रारूप प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। इसमें से 3 प्रारूपों में प्राधिकरण स्तर पर आवश्यक सुधार कर सदस्यद्वय एवं उपाध्यक्ष के अनुमोदन के उपरान्त माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष के अंतिम अनुमोदन हेतु प्रारूप मुख्य सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को प्रेषित किये गये हैं। शेष योजना प्रारूपों में भी अपेक्षित सुधार किया जा रहा है जिन्हें यथासमय माननीय मुख्यमंत्री–सह–अध्यक्ष को प्रेषित किया जाएगा।

14. राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क की स्थापना

आपदाओं के आने की दशा में संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसा देखा गया है कि संसाधनों की कमी हो जाने के बाद उन्हें कहाँ से प्राप्त हो जाये, इसकी स्पष्ट जानकारी ससमय उपलब्ध नहीं रहने से संबंधित पदाधिकारियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए देश के स्तर पर राष्ट्रीय आपदा संसाधन नेटवर्क बनाया गया जिसका संचालन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, नई दिल्ली द्वारा किया जाता है। अनुभव रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित इस संसाधन नेटवर्क का उपयोग जिला स्तर पर नहीं के बराबर हो पाता है। इसका कारण यह है कि तंत्र में संसाधनों की सूचना अंकित करने एवं उसे अद्यतन करते रहने हेतु राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। साथ ही उक्त तंत्र में अंकित संसाधन आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता। अतएव बिहार आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में राज्य स्तर पर 'राज्य आपदा संसाधन नेटवर्क' की स्थापना की कल्पना की गई है। तद्नुसार प्राधिकरण में इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गए हैं तथा इस नेटवर्क का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। सॉफ्टवेयर का ट्रायल भी हो चुका है तथा डेटा इन्ट्री के लिए राज्य स्तर से लेकर प्रमंडल स्तर तक राज्य सरकार के विभागों तथा निजी क्षेत्र के हितभागियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि इस नेटवर्क में सामग्री, सेवाएं तथा प्रशिक्षित मानव बल जैसे सभी संसाधनों, जो राज्य में उपलब्ध है, की इन्ट्री करा दी जाए ताकि जिला पदाधिकारी और संबंधित रिस्पाँडर उसका यथा समय उपयोग कर सकें।

15. Mass Messaging के माध्यम से जागरूकता संदेशों का प्रेषण

प्राधिकरण द्वारा बड़े पैमाने पर विभिन्न हितधारकों के बीच क्षमतावर्द्धन एवं जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक/पंचायत प्रतिनिधि एवं सरकारी पदाधिकारी आदि शामिल हैं। प्राधिकरण ने विचार किया कि इन सभी के साथ आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, जीविका दीदी, वनरक्षी, विकास मित्र, प्रशिक्षित राजमिस्त्री, प्रशिक्षित नाविक आदि के माध्यम से आम जन तक विभिन्न आपदाओं से बचाव हेतु जागरूकता के संदेशों का प्रसारण किया जाए। तद्नुसार लगभग 10 लाख व्यक्तियों के मोबाईल नम्बरों पर Mass Messaging के माध्यम से विभिन्न आपदाओं की आसन्नता को दृष्टिपथ रखते हुए जन–जागरूकता के संदेशों का प्रेषण किया जाता है। इस प्रकार हर वर्ष करोड़ों संदेश लोगों तक भेजे जा रहे हैं।

16. समाचार पत्रों के माध्यम से Advisory का प्रकाशन

Mass Messaging के अलावा समाचार पत्रों के माध्यम से भी आपदा से बचाव हेतु Advisory का प्रकाशन किया जाता है। प्राधिकरण की 11वीं बैठक में लिए गये निर्णय के आलोक में Advisory का प्रकाशन आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा सूचना एवं जन संपर्क विभाग के माध्यम से कराया जाता है।

INTERNAL AUDIT REPORT FY 2018-19

Bihar State Disaster Management Authority

Second Floor, Pant Bhawan, Bailey Road,
Patna, Bihar-1

S K Patodia & Associates
CHARTERED ACCOUNTANTS

S K PATODIA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

To,
The Secretary,
Bihar State Disaster Management Authority
Patna, Bihar-800001

Date: 10.02.2020

Subject: Submission of Internal Audit Report for the Financial Year 2018-19

Sir,

With regard to above reference, we are pleased to inform you that we have been appointed to conduct internal audit of Bihar State Disaster Management Authority for the year 2018-19.

We have totally relied upon the data and information furnished by your office either orally or through any other media. It is the sole and exclusive responsibility of the BSDMA to ensure that data furnished is complete, consistent and accurate in all respect.

Our report is in nature of internal audit report only and not any statutory audit in accordance with generally accepted standards in India, we do not express any assurance on financial statement and also on the completeness of aforesaid factual findings.

While all reasonable care has been taken to ensure that the facts stated in this report are accurate, neither S. K. Patodia & Associates nor its consultants, staff, employees, etc. shall in any way be responsible for its contents and take no responsibility / liability for any reliance thereon by a third party not expressly authorized by S. K. Patodia & Associates thereto.

This report is restricted for the use of Bihar State Disaster Management Authority who has agreed to the procedures and should not be used for any other purposed including disclosure to/ discussion with any other parties.

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Partner
Membership No: 426910

Enclose: Internal Audit report for the Financial Year 2018-19

Head Office : Choice House, Shree Shakambhari Corporate Park,
Plot No. 156-158, J. B. Nagar, Andheri (East), Mumbai - 400 099
Tel. : +91 22 6707 9444 – Fax : +91 22 6707 9959 – Email : info@skpatodia.in

Offices : New Delhi | Jaipur | Ahmedabad | Kolkata | Bengaluru | Hyderabad | Patna | Bhopal | Ranchi | Chandigarh | Nagpur | Guwahati

www.skpatodia.in

1. BACKGROUND

Bihar State Disaster Management Authority is a statutory body created under the provisions of Disaster Management Act, 2005 passed by the Parliament. As per the provisions of the Act, Bihar State Disaster Management Authority (BSDMA) has been created at state level which is headed by Honorable Chief Minister of Bihar. Bihar State Disaster Management Authority is undertaking a number of measures focused on Disaster Risk Reduction (DRR) and mitigation. Vision of Bihar State Disaster Management Authority is "To build a safe and disaster-resilient Bihar by developing a holistic, proactive, multi-disaster and technology-driven strategy for Disaster Management." Roles & Responsibilities of BSDMA are as below:

(i) Lay down policies on disaster management and approve the State Plan.

(ii) Approve plans prepared by the Departments of the State Government in accordance with the State Plan and Lays down the guidelines to be followed by the District Authorities in drawing up the District Plan.

(iii) Lay down guidelines to be followed by the different State Departments for the Purpose of integrating the measures for prevention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects.

(iv) Coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management and recommend the provision of funds for the purpose of mitigation.

(v) Take such other measures for the prevention of disaster, or the mitigation, or preparedness and capacity building for dealing with the threatening disaster situation or disaster as it may consider necessary.

(vi) Lay down broad policies and guidelines for the functioning of the State Institute of Disaster Management.

2. PURPOSE OF INTERNAL AUDIT

Internal auditing is a continuous process of appraisal of an organization's operations and evaluation and monitoring of risk management, reporting, and control practices. It is an independent and objective oriented assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing in systematic and disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of the operations of an organization in totality.

3. PROCEDURES PERFORMED

We have deployed a dedicated team at Bihar State Disaster Management Authority, Bihar Office to conduct audit procedures and note their observations related to:

a) Finance and Accounts
b) Maintenance of books of accounts
c) Internal controls
d) Statutory compliances etc.

The internal audit was conducted with a view to take overall picture of the organization.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit.

During the execution of audit, our team members have noted various observations which are as follows:

4. AUDIT OBSERVATIONS AND RECOMMENDATION

4.1. Maintenance of Books of Accounts at BSDMA

<table>
<tr><th>Observation</th><th>Recommendation</th></tr>
<tr><td>During audit it was noted that books of accounts was not properly maintained and updated at BSDMA.
List of books to be maintained are as follows:
<table>
<tr><th>S.N.</th><th>Books</th><th>Maintained or Not</th><th>Remarks</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Cash Book</td><td>Not Maintained Properly</td><td>Only party name maintained but Details of items not mentioned</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Check Register</td><td>Yes</td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td>BRS</td><td>No</td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Fixed Assets Register</td><td>No</td><td></td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Advance Register</td><td>Not Maintained Properly</td><td></td></tr>
<tr><td>6.</td><td>Purchase Register</td><td>No</td><td></td></tr>
</table>
</td><td>Management should maintained proper books of account and updated the same on real time.</td></tr>
</table>

4.2. No treatment made in books for time barred cheques

Observation	Recommendation
During reconciliation of bank statements, we noted the following: (i) In Financial Year 2017-18, a cheque 393095 dated 20/03/2018 was issued but is neither cleared or nor taken reversal in the books of accounts. (ii) Cheque issued in Financial Year 2018-19 become time barred and against this neither fresh cheque is issued nor reversal has been taken in books. Details are given in **Annexure-1**	Management should either re-issue a new cheque or pass necessary adjustment entry in books of account against the un-cleared / time barred cheque at the end of financial year.

Annexure-1

Particular	Date	Ch. No	Amt in Rs.
Expenses on Trainee	03-04-2018	498049	1,000.00
Expenses on Trainee	03-04-2018	498062	1,000.00
Expenses on Trainee	03-04-2018	498063	1,000.00
Expenses on Trainee	03-04-2018	498064	1,000.00
Expenses on Trainee	06-04-2018	498077	1,000.00
Expenses on Trainee	06-04-2018	498079	1,000.00
Expenses on Trainee	06-04-2018	498111	1,000.00
Expenses on Trainee	06-04-2018	498113	1,000.00
Expenses on Trainee	06-04-2018	498115	1,000.00
Expenses on Trainee	11-04-2018	498138	1,000.00
Expenses on Trainee	11-04-2018	498150	1,000.00
Expenses on Trainee	11-04-2018	498171	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498194	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498196	1,000.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	13-04-2018	498197	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498202	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498206	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498209	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498211	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498213	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498215	1,000.00
Expenses on Trainee	13-04-2018	498223	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498283	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498284	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498295	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498308	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498311	1,000.00
Expenses on Trainee	17-04-2018	498312	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498322	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498326	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498329	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498330	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498334	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498340	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	498360	1,000.00
Expenses on Trainee	18-04-2018	675512	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675560	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675563	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675569	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675572	1,000.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	03-05-2018	675576	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675581	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675582	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675585	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675589	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675595	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675596	1,000.00
Expenses on Trainee	03-05-2018	675597	1,000.00
Tour and Travelling Expenses	08-05-2018	694014	11,510.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694025	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694027	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694029	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694030	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694034	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694036	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694037	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694042	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694043	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694044	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694047	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694048	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694049	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694050	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694056	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694060	1,000.00
Expenses on Trainee	10-05-2018	694067	1,000.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	10-05-2018	694068	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694112	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694114	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694127	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694129	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694130	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694132	1,000.00
Expenses on Trainee	17-05-2018	694138	1,000.00
Expenses on Trainee	24-05-2018	694212	1,000.00
Expenses on Trainee	24-05-2018	694216	1,000.00
Expenses on Trainee	24-05-2018	694222	1,000.00
Expenses on Trainee	24-05-2018	694238	1,000.00
Expenses on Trainee	24-05-2018	694241	1,000.00
Expenses on Trainee	29-05-2018	694274	1,000.00
Expenses on Trainee	29-05-2018	694303	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694321	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694323	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694328	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694332	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694333	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694337	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694342	1,000.00
Expenses on Trainee	30-05-2018	694344	1,000.00
Expenses on Trainee	31-05-2018	694380	2,000.00
Tour and Travelling Expenses	01-06-2018	012658	1,180.00
Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012672	500.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012675	500.00
Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012678	500.00
Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012681	500.00
Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012683	500.00
Other Comercial & Special Service	05-06-2018	012685	500.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	012694	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015278	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015279	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015280	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015291	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015296	1,000.00
Expenses on Trainee	06-06-2018	015302	1,000.00
Expenses on Trainee	12-06-2018	015345	1,000.00
Expenses on Trainee	12-06-2018	015352	1,000.00
Expenses on Trainee	12-06-2018	015376	1,000.00
Expenses on Trainee	12-06-2018	015383	1,000.00
Expenses on Trainee	14-06-2018	015426	2,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015473	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015479	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015482	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015484	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015486	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015488	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015493	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015497	1,000.00
Expenses on Trainee	20-06-2018	015499	1,000.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	21-06-2018	015512	5,804.00
Expenses on Trainee	21-06-2018	015537	2,700.00
Expenses on Trainee	21-06-2018	015538	2,700.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015549	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015563	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015570	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015584	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015589	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015593	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015595	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015597	1,000.00
Expenses on Trainee	27-06-2018	015599	1,000.00
Expenses on Trainee	04-07-2018	015664	1,000.00
Expenses on Trainee	04-07-2018	015666	1,000.00
Expenses on Trainee	04-07-2018	368061	1,000.00
Expenses on Trainee	10-07-2018	368095	1,000.00
Expenses on Trainee	10-07-2018	368098	1,000.00
Expenses on Trainee	10-07-2018	368102	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368183	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368189	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368192	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368210	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368224	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368236	1,000.00
Expenses on Trainee	14-07-2018	368241	1,000.00
Tour and Travelling Expenses	24-07-2018	368277	12,014.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	24-07-2018	368290	1,000.00
Expenses on Trainee	03-08-2018	368334	1,000.00
Expenses on Trainee	03-08-2018	368358	2,000.00
Expenses on Trainee	08-08-2018	368389	1,000.00
Expenses on Trainee	08-08-2018	368405	1,000.00
Expenses on Trainee	08-08-2018	368407	1,000.00
Expenses on Trainee	08-08-2018	368414	1,000.00
Expenses on Trainee	16-08-2018	368420	18,000.00
Expenses on Trainee	16-08-2018	368423	1,000.00
Expenses on Trainee	16-08-2018	368429	1,000.00
Expenses on Trainee	16-08-2018	368436	1,000.00
Expenses on Trainee	16-08-2018	368439	1,000.00
Expenses on Trainee	07-09-2018	368538	2,000.00
Expenses on Trainee	20-09-2018	697906	1,000.00
Expenses on Trainee	27-09-2018	698264	1,000.00
Expenses on Trainee	27-09-2018	698272	1,000.00
Expenses on Trainee	27-09-2018	698274	1,000.00
Expenses on Trainee	27-09-2018	698283	1,000.00
Expenses on Trainee	27-09-2018	698284	1,000.00
Expenses on Trainee	03-10-2018	697949	500.00
Expenses on Trainee	04-10-2018	698019	1,000.00
Expenses on Trainee	04-10-2018	698045	1,000.00
Expenses on Trainee	04-10-2018	698046	1,000.00
Expenses on Trainee	04-10-2018	698050	1,000.00
Expenses on Trainee	05-10-2018	698061	1,000.00
Expenses on Trainee	05-10-2018	698087	1,000.00

Internal Audit Report For FY 2018-19

Expenses on Trainee	10-10-2018	698154	1,000.00
Expenses on Trainee	10-10-2018	698155	1,000.00
Expenses on Trainee	12-10-2018	698188	1,000.00
Expenses on Trainee	12-10-2018	698205	1,000.00
Expenses on Trainee	12-10-2018	698212	1,000.00
Expenses on Trainee	12-10-2018	420441	1,000.00
Expenses on Trainee	12-10-2018	420443	1,000.00
Expenses on Trainee	23-10-2018	420478	1,000.00
Expenses on Trainee	23-10-2018	420502	1,000.00
Expenses on Trainee	23-10-2018	420504	1,000.00
Expenses on Trainee	23-10-2018	420519	1,000.00
Expenses on Trainee	26-10-2018	420560	1,000.00
Expenses on Trainee	26-10-2018	420590	1,000.00
Expenses on Trainee	26-10-2018	420596	1,000.00
Expenses on Trainee	26-10-2018	420609	1,000.00
Expenses on Trainee	01-11-2018	420671	1,000.00
Expenses on Trainee	01-11-2018	420691	1,000.00
Expenses on Trainee	01-11-2018	420692	1,000.00
Expenses on Trainee	02-11-2018	420714	1,000.00
Expenses on Trainee	02-11-2018	420728	500.00
Expenses on Trainee	02-11-2018	420774	1,000.00
Expenses on Trainee	02-11-2018	420784	1,000.00
Expenses on Trainee	02-11-2018	420791	1,000.00
Honorariumum Expenses	05-11-2018	420831	5,000.00
Honorariumum Expenses	06-11-2018	420847	5,000.00
Expenses on Trainee	16-11-2018	420867	1,000.00

Expenses on Trainee	16-11-2018	420876	1,000.00
Expenses on Trainee	16-11-2018	420877	1,000.00
Expenses on Trainee	22-11-2018	599911	1,000.00
Expenses on Trainee	22-11-2018	599931	1,000.00
Expenses on Trainee	23-11-2018	599944	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754240	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754242	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754244	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754245	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754259	1,000.00
Expenses on Trainee	27-11-2018	754293	1,000.00
Expenses on Trainee	28-11-2018	754298	1,000.00
Expenses on Trainee	28-11-2018	754301	1,000.00
Expenses on Trainee	28-11-2018	754307	1,000.00
Expenses on Trainee	28-11-2018	754313	1,000.00
Expenses on Trainee	28-11-2018	754314	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754352	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754372	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754376	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754381	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754389	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754393	1,000.00
Expenses on Trainee	30-11-2018	754398	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754445	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754447	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754449	1,000.00

Expenses on Trainee	04-12-2018	754464	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754473	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754476	1,000.00
Expenses on Trainee	04-12-2018	754477	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754489	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754492	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754494	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754505	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754512	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754515	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754517	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754520	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754521	1,000.00
Expenses on Trainee	06-12-2018	754564	1,000.00
Office Expenses	11-12-2018	754584	13,382.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754590	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754591	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754595	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754596	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754600	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754604	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754614	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754617	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754624	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	754626	1,000.00
Expenses on Trainee	12-12-2018	755117	1,000.00

Expenses on Trainee	19-12-2018	015135	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015141	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015142	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015145	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015146	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015156	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015157	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015159	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015183	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015200	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015206	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015211	1,000.00
Expenses on Trainee	19-12-2018	015217	1,000.00
Expenses on Trainee	27-12-2018	018453	1,000.00
Expenses on Trainee	27-12-2018	018463	1,000.00
Total			**3,30,290.00**

4.3. Non booking/double booking of bank interest/bank charges and other receipts & payments

Observation	Recommendation
During reconciliation of bank statements, we found that, interest receipts, bank charges and other receipts or payments are not taken properly in cash book for the Financial Year 2018-19. Details are given in **Annexure-2**	Management should either re-issue a new cheque or pass necessary adjustment entry in books of account against the un-cleared / time barred cheque at the end of financial year.

Annexure-2

Particular	Date	Ch. No	Amt in Rs.
Reversible in Cash Book as per audit report for FY 2017-18	21-04-2017		(1,05,000.00)
Bank Charge recorded twice in Cash Book dated 04-12-2018 and 18-01-2019	2017-18		3628.00
Bank charges	2018-19		(13,776.50)
Bank Interest	2018-19		23,49,242.00
Wrong receipts taken in Cash Book as it was already taken in receipt side earlier on dated 12-04-2018 and 23-11-2018	18-01-2019	380913	(1,600.00)
	23-11-2018	380917	(1600.00)
	26-02-2019	156621	(540.00)
	26-02-2019	157120	(43,000.00)
	26-02-2019	156623	(6,700.00)
	26-02-2019	156643	(680.00)
Receipts wrongly taken in Cash Book which is to be reversed	15-02-2019	736064	(500.00)
	15-02-2019	736078	(1,000.00)
	15-02-2019	736481	(1,000.00)
	15-02-2019	736483	(1,000.00)
	15-02-2019	736526	(1,000.00)
	15-02-2019	393159	(1,000.00)
	15-02-2019	005250	(1,000.00)
	15-02-2019	497964	(1,000.00)
	15-02-2019	497965	(1,000.00)
	15-02-2019	497966	(1,000.00)

	15-02-2019	497968	(1,000.00)
	15-02-2019	497969	(1,000.00)
	15-02-2019	497970	(1,000.00)
	15-02-2019	497971	(1,000.00)
Reversal to be taken as the RTGS/ NEFT was not processed due to wrong details of payee	29-10-2018	420620	7,000.00
	26-09-2018	698238	7,000.00
	31-12-2018	018558	7,000.00
	13-12-2018	143646	7,000.00
	29-01-2019	019174	7,000.00
Amount received back from DM Jahanabad after utilisation of Rs. 1,03,614.00 from total allotted amount Rs. 1,80,000.00	17-07-2018	536513	76,386.00
Cheque issued on 16-07-2018 which is reversed in cash book however the same was cleared as per bank statement on dated 03-08-2018.	03-08-2018	368196	(1,000.00)
Total			**22,76,859.50**

4.4. Reluctance to comply with statutory liabilities

Observation	Recommendation
During audit, we have visited TDS website and it is noted that various demand has been issued by the Income Tax Department due to non-compliances or error made in filling of TDS return. Details are given in **Annexure-3**	Non-compliance of statutory obligations has revenue implication in terms of interest and penalty. Management should resolve the TDS Compliances as soon as possible.

Annexure-3

FY	Form type	Type of default	Default Amount	Payable	Total Payable	Net Payable	Deductee with invalid Pan
2013-14	24QQ1	Short Payment	95,500	95,500	111,258	111,260	-
		Interest on Short Payment	15,758	15,758			
	24QQ2	Short Payment	87,500	87,500	98,000	98,000	-
		Interest on Short Payment	10,500	10,500			
	24QQ3	Short Payment	161,000	161,000	173,075	173,080	-
		Interest on Short Payment	12,075	12,075			
	24QQ4	Short Payment	581,799	581,799	613,450	613,450	-
		Short deduction	5,347	5,347			
		Interest on Short Payment	26,145	26,145			
		Interest on Short Deduction	159	159			
2015-16	24QQ3	Interest on late deduction	616	616	1,016	1,020	-
		Late Filing Levy	400	400			
	24QQ4	Short Payment	63,632	63,632	141,055	141,060	-
		Short Deduction	65,158	65,158			
		Interest on Short Payment	5,724	5,724			
		Interest on short deduction	1,941	1,941			
		Late Filing Levy	4,600	4,600			
	26QQ4	Late Filing Levy	400	400	440	440	-

Internal Audit Report For FY 2018-19

		Interest u/s 220(2)	40	40			
2016-17	24QQ2	Late Filing Levy	400	400	400	400	-
	26QQ2	Late Filing Levy	400	400	400	400	-
	24QQ3	Interest on late Payment	1,050	1,050	1,396	1,400	-
		Additional Late Payment interest against the processing of latest correction	300	300			
		Interest on late deduction	6	6			
		Interest u/s 220(2)	40	40			
	24QQ4	Late Filing Levy	200	200	200	200	-
2017-18	24QQ2	Late Filing Levy	200	200	226	230	-
		Interest u/s 220(2)	26	26			
	26QQ2	Late Filing Levy	200	200	226	230	-
		Interest u/s 220(2)	26	26			
	24QQ4	Short Deduction	35,763	35,763	39,077	39,080	-
		Interest on late Payment	1,872	1,872			
		Interest on short deduction	1,424	1,424			
		Interest u/s 220(2)	18	18			
	26QQ4	Short Deduction	375	375	4,083	4,080	-
		Interest on late Payment	3,693	3,693			

Internal Audit Report For FY 2018-19

		Interest on short deduction	15	15			
2018-19	26QQ1	Short Payment	2,240	2,240	3,085	3,080	-
		Short Deduction	617	617			
		Interest on short deduction	30	30			
		Interest on Short Payment	198	198			
	26QQ2	Short Payment	417	417	435	440	-
		Interest on Short Payment	18	18			
	24QQ3	Interest on late Payment	19,560	19,560	19,560	19,560	-
	26QQ3	Short Payment	274	274	11,199	11,200	-
		Short Deduction	10,503	10,503			
		Interest on short deduction	6	6			
		Interest on Short Payment	416	416			
	24QQ4	Interest on late Payment	765	765	765	770	-
	26QQ4	Short Payment	2,405	2,405	21,540	21,540	-
		Short Deduction	18,097	18,097			
		Interest on short deduction	900	900			
		Interest on Short Payment	138	138			
Total					**12,40,886**	**12,40,920**	-

4.5. Observation related to cash book: At many places, we found some clerical errors in cash book. Errors are as below:-

Error Date	Amount (₹)	Rectified date	Recommendation
10-05-2018	(21,805.00)	26-06-2018	Responsible person should take proper attention during maintenance of books of account and rectify the wrong entries in Cash Book.
25-07-2018	540.00	25-08-2018	
05-11-2018	5,000.00	22-11-2018	
11-02-2019	(60.00)	26-02-2019	
18-09-2018	(200.00)	Not Rectified	
24-10-2018	1,842.00	Not Rectified	
14-03-2019	8,23,500.00	Not Rectified	
19-03-2019	38000.00	Not Rectified	
Total	**7,83,458.00**		

Internal Audit Report For FY 2018-19

Acknowledgement: At the end, we are thankful to the BSDMA personnel especially finance & accounts department, which assisted us to get informed about the function and structure of the authority. It was the cooperation of personnel who enable timely and suitable completion of our internal audit proceedings.

For S K Patodia & Associates
Chartered Accountants

Ajay Kumar Agarwal
Partner
Membership No: 426910
UDIN: 20426910AAAAAC4358
Date: 10.02.2020

ENCLOSURE:

(i) Balance Sheet as on 31st March, 2019

(ii) Income and Expenditure Statement for the year ending on 31st March, 2019

(iii) Receipt and Payment Account for the year ending on 31st March, 2019

(iv) Schedule to Balance Sheet

(v) Notes to account

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1

Balance Sheet As On 31st March, 2019

Liabilities	Schedule No	As on 31st March, 2018	As on 31st March, 2019	Assets	Schedule No	As on 31st March, 2018	As on 31st March, 2019
		Amount in Rs.	Amount in Rs.			Amount in Rs.	Amount in Rs.
Capital Fund	1	47,01,074	61,63,814	**Fixed Assets**	6	46,98,174	61,60,914
Restricted Fund	2	9,39,01,455	32,87,78,489	**Current Assets, Loans & Advanvces**			
				Current Assets			
				Cash in Hand	3	35,226	35,226
				Cash at Bank	4	9,37,69,129	21,52,07,785
				Loans & Advances	5	1,00,000	11,35,38,378
TOTAL		**9,86,02,529**	**33,49,42,303**	**TOTAL**		**9,86,02,529**	**33,49,42,303**

For Bihar State Disaster Management Authority

For Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Income & Expenditure Account fot the year ended on 31st March, 2019

Expenditure	Amount in Rs.	Income	Amount in Rs.
Advertiesment Expenses	79,650.00	Fund Received to the extent utilized during the financial year	11,21,24,226.50
Bank Charges	13,776.50		
Commercial and Special Services	2,67,61,313.00		
Electricitty Expenses	1,27,065.00		
Financial Consultancy Services	32,450.00	**Miscellaneous Income**	
GST Rounding off Differences	1.00	Bank Interest	66,71,040.00
Medical Reimbursement	95,610.00		
Newspaper and Periodicals	49,565.00		
Office Expenses	2,05,625.00		
Printing And Stationary	4,39,68,791.00		
Rent Expenses	11,67,172.00		
Salary	3,94,94,958.00		
Telephone and Internet Expenses	4,40,685.00		
Tour and Travelling Expenses	40,75,036.00		
Fuel and Maintenance	22,83,569.00		
TOTAL	**11,87,95,266.50**	**TOTAL**	**11,87,95,266.50**

For Bihar State Disaster Management Authority

for Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Receipt & Payment Account fot the year ended on 31st March, 2019

Receipt	For the year ended on 31-03-2019 Amount in Rs.	Payments	For the year ended on 31-03-2019 Amount in Rs.
Opening Balance		Loan and Advance	11,67,67,959.00
Cash in Hand	35,226.00	Financial Consultancy Services	32,450.00
Cash at Bank	9,37,69,129.00	Advertiesment Expenses	79,650.00
		Bank Charges	13,776.50
		Commercial and Special Services	2,32,31,732.00
		Electricitty Expenses	1,27,065.00
		GST Rounding off Differences	1.00
		Medical Reimbursement	95,610.00
		Newspaper and Periodicals	49,565.00
		Office Expenses	2,05,625.00
		Printing And Stationary	4,39,68,791.00
		Rent Expenses	11,67,172.00
		Salary	3,94,94,958.00
		Telephone and Internet Expenses	4,40,685.00
Fund Received		Tour and Travelling Expenses	40,75,036.00
From Government of Bihar		Fuel and Maintenance	22,83,569.00
other than salary	33,53,41,000.00		
For Salary	1,31,23,000.00		
Miscellaneous Income		Purchase of Fixed Assets	14,62,740.00
Bank Interest	66,71,040.00		
		Closing Balance	
		Cash in Hand	35,226.00
		Cash at Bank	21,52,07,784.50
TOTAL	**44,89,39,395.00**	**TOTAL**	**44,89,39,395.00**

For Bihar State Disaster Management Authority

for [signature]
Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Schedule to the Balance Sheet

Schedule 1 : Capital Fund		
Particular		**Amount in Rs.**
Opening Balance as on 01.04.2018		47,01,074.00
Add :- Capital Expenditure During the Year		14,62,740.00
Closing Balance as on 31.03.2019		**61,63,814.00**

Schedule 2 : Restricted Fund		
Particular		**Amount in Rs.**
Opening Balance as on 01.04.2018		9,39,01,455.00
Add/(Less):		
Fund Received From Govt of Bihar		34,84,64,000.00
Bank Interest		66,71,040.00
Expenditure Incurred for acquiring of Fixed Assets		(14,62,740.00)
Expenditure Incurred for other than acquiring of Fixed Assets		(11,87,95,266.50)
Closing Balance as on 31.03.2019		**32,87,78,488.50**

Schedule 3 : Cash in Hand		
Particular		**Amount in Rs.**
Opening balance as on 01.04.2018		35,226.00
Add/(Less):		
Deposit in bank		-
Closing balance as on 31-03-2019		**35,226.00**

For Bihar State Disaster Management Authority

for Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Schedule to the Balance Sheet

Schedule 4 : Cash at Bank		
Particular		**Amount in Rs.**
Opening balance as on 01.04.2018		9,37,69,129.00
Add/(Less):		
Fund received during FY 2018-19		35,51,35,040.00
Payment made during FY 2018-19		(23,36,96,384.50)
Balance as on 31-03-2019		**21,52,07,784.50**
State Bank of India, SK Puri Branch, Patna, A/c No-33641154008		

Schedule 5 : Loans and Advances		
Particular		**Amount in Rs.**
Opening balance as on 01.04.2018		
Advance paid to Anil kumar Upadhayay		1,00,000.00
Add/(Less): During The year 2018-19 :-		
Advance paid to Anil kumar Upadhayay		40,000.00
Advance paid to Bameti		20,05,190.00
Advance paid to Bihar Education Project		45,00,000.00
Advance paid to BIPARD		16,00,000.00
Advance paid to Deah BVC Patna		27,53,339.00
Advance paid to DM		
DM Arariya	9,193.00	
DM Arval	21,02,000.00	
DM Banka	17,82,800.00	
DM Begusarai	23,15,500.00	
DM Bhagalpur	23,11,500.00	
DM Bhojpur	22,07,400.00	
DM Buxsar	14,09,700.00	
DM Darbhanga	61,54,513.00	
DM East Champaran	38,89,600.00	
DM Gaya	31,99,100.00	
DM Gopalganj	21,34,600.00	
DM Jahanabad	20,57,449.00	
DM Jamui	14,98,700.00	
DM Katihar	22,84,200.00	
DM Khagariya	12,56,100.00	
DM Kishanganj	12,37,900.00	
DM Kunmur(Bhabhua)	14,55,200.00	
DM Lakheesaray	8,19,300.00	
DM Madhepura	20,07,400.00	
DM Madhubani	58,43,965.00	
DM Munger	10,32,600.00	
DM Muzaffarpur	77,93,900.00	

DM Nalanda	75,50,500.00	
DM Navada	2,66,254.00	
DM Orangabad	19,46,600.00	
DM Patna	61,19,667.00	
DM Purniya	24,07,600.00	
DM Rohtas	23,81,200.00	
DM Saharasha	14,71,400.00	
DM Samastipur	8,69,899.00	
DM Saran	6,86,335.00	
DM Shekhpura	21,73,600.00	
DM Shivhar	5,42,300.00	
DM Sitamarhi	76,67,828.00	
DM Sivan	8,47,988.00	
DM Supaul	17,64,600.00	
DM Vaishali	68,60,300.00	
DM West Champaran	29,98,000.00	10,13,56,691.00
Advance paid to Govt. Polytechnic Sitamarahi		4,91,704.00
Advance paid to IWAI NINI, Patna		(74,876.00)
Advance paid to MIT Muzaffarpur		4,51,500.00
Advance paid to NDMA Project		2,30,040.00
Advance paid to Pallav Kumar		5,000.00
Advance to Pallav Kumar for TA		10,000.00
Advance for Building Booking (DDMP)		18,000.00
Advance to Shankar Dayal for Damage Assessment Program		20,000.00
Advance to Principal, College of Art & Craft		31,790.00
Balance as on 31-03-2019		**11,35,38,378.00**

For Bihar State Disaster Management Authority

For

Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Schedule to Balance Sheet

Schedule 6 : Fixed Assets				
Particular	**Cost as on 01-04-2018**	**Addition up to 30-09-2018**	**Addition after 30-09-2018**	**Total Cost as on 31.03.2019**
Furniture and Fixtures				
Airconditioner	6,74,213	2,77,995	-	9,52,208
Furniture	11,34,393	-	2,47,219	13,81,612
Battery	77,150	-	-	77,150
Cable Connection	-	-	10,890	10,890
Installation of intercom with Cable			4,248	4,248
Electric Connection	-	-	6,898	6,898
Godrej (Almira)	-	-	1,36,926	1,36,926
LCD TV / TV	1,25,500	45,600	4,300	1,75,400
Lazer Pointer	-	-	8,750	8,750
Fire Extinguisher	9,627	-	-	9,627
Tube Lite	-	24,046	-	24,046
Water Filter	68,800	-	-	68,800
Water Mist & CAF FE Back up with trolly	4,04,533		-	4,04,533
Office Equipments				
Apple Adapter	6,500	-	-	6,500
Camera	14,800	-	-	14,800
Mobile Purchase	15,660	-	8,000	23,660
Coffee Machine	43,813	-	-	43,813
Printer	2,65,195	18,000	-	2,83,195
Public Address System	92,600	-	-	92,600
Speaker Telephone Set	5,775	-	-	5,775
Computer peripherals				
Computer	7,94,761	2,96,800	2,84,940	13,76,501
EPABX System	53,130	-	-	53,130
Hard Disk	9,818	-	-	9,818
Laptop	8,23,100	69,000	-	8,92,100
Photo Copy Machine			19,128	19,128
UPS/Inverter	78,806	-	-	78,806
TOTAL	**46,98,174**	**7,31,441**	**7,31,299**	**61,60,914**

For Bihar State Disaster Management Authority

for Secretary

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY
2nd Floor, Pant Bhawan, Bailey Road, Patna-1
Bank Reconciliation Statement as on 31-03-2019

Particular	Cheque No	Date	Amount in Rs.	Amount in Rs.
Closing balance as per cash book				**21,52,07,784.50**
Adjustment for the year				
Add:- Cheque issued in year 2017-18 but nither cleared nor reversel taken in books				
Other Comercial & Special Service	393095	20-03-2018	1,000.00	**1,000.00**
Add:- Cheque issued in Financial Year 2018-19 but not presented for payment				
Expenses on Trainee	498049	03-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498062	03-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498063	03-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498064	03-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498077	06-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498079	06-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498111	06-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498113	06-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498115	06-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498138	11-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498150	11-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498171	11-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498194	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498196	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498197	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498202	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498206	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498209	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498211	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498213	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498215	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498223	13-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498283	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498284	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498295	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498308	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498311	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498312	17-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498322	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498326	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498329	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498330	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498334	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498340	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	498360	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675512	18-04-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675560	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675563	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675569	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675572	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675576	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675581	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675582	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675585	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675589	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675595	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675596	03-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	675597	03-05-2018	1,000.00	
Tour and Travelling Expenses	694014	08-05-2018	11,510.00	
Expenses on Trainee	694025	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694027	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694029	10-05-2018	1,000.00	

Expenses on Trainee	694030	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694034	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694036	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694037	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694042	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694043	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694044	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694047	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694048	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694049	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694050	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694056	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694060	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694067	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694068	10-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694112	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694114	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694127	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694129	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694130	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694132	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694138	17-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694212	24-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694216	24-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694222	24-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694238	24-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694241	24-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694274	29-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694303	29-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694321	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694323	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694328	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694332	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694333	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694337	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694342	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694344	30-05-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	694380	31-05-2018	2,000.00	
Tour and Travelling Expenses	012658	01-06-2018	1,180.00	
Other Comercial & Special Service	012672	05-06-2018	500.00	
Other Comercial & Special Service	012675	05-06-2018	500.00	
Other Comercial & Special Service	012678	05-06-2018	500.00	
Other Comercial & Special Service	012681	05-06-2018	500.00	
Other Comercial & Special Service	012683	05-06-2018	500.00	
Other Comercial & Special Service	012685	05-06-2018	500.00	
Expenses on Trainee	012694	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015278	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015279	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015280	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015291	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015296	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015302	06-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015345	12-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015352	12-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015376	12-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015383	12-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015426	14-06-2018	2,000.00	
Expenses on Trainee	015473	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015479	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015482	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015484	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015486	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015488	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015493	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015497	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015499	20-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015512	21-06-2018	5,804.00	

Expenses on Trainee	015537	21-06-2018	2,700.00	
Expenses on Trainee	015538	21-06-2018	2,700.00	
Expenses on Trainee	015549	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015563	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015570	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015584	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015589	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015593	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015595	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015597	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015599	27-06-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015664	04-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	015666	04-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368061	04-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368095	10-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368098	10-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368102	10-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368183	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368189	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368192	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368210	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368224	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368236	14-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368241	14-07-2018	1,000.00	
Tour and Travelling Expenses	368277	24-07-2018	12,014.00	
Expenses on Trainee	368290	24-07-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368334	03-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368358	03-08-2018	2,000.00	
Expenses on Trainee	368389	08-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368405	08-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368407	08-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368414	08-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368420	16-08-2018	18,000.00	
Expenses on Trainee	368423	16-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368429	16-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368436	16-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368439	16-08-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	368538	07-09-2018	2,000.00	
Expenses on Trainee	697906	20-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698264	27-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698272	27-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698274	27-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698283	27-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698284	27-09-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	697949	03-10-2018	500.00	
Expenses on Trainee	698019	04-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698045	04-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698046	04-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698050	04-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698061	05-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698087	05-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698154	10-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698155	10-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698188	12-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698205	12-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	698212	12-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420441	12-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420443	12-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420478	23-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420502	23-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420504	23-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420519	23-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420560	26-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420590	26-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420596	26-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420609	26-10-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420671	01-11-2018	1,000.00	

Expenses on Trainee	420691	01-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420692	01-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420714	02-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420728	02-11-2018	500.00	
Expenses on Trainee	420774	02-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420784	02-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420791	02-11-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	420831	05-11-2018	5,000.00	
Honorariumum Expenses	420847	06-11-2018	5,000.00	
Expenses on Trainee	420867	16-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420876	16-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	420877	16-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	599911	22-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	599931	22-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	599944	23-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754240	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754242	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754244	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754245	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754259	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754293	27-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754298	28-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754301	28-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754307	28-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754313	28-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754314	28-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754352	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754372	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754376	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754381	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754389	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754393	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754398	30-11-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754445	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754447	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754449	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754464	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754473	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754476	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754477	04-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754489	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754492	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754494	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754505	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754512	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754515	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754517	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754520	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754521	06-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754564	06-12-2018	1,000.00	
Office Expenses	754584	11-12-2018	13,382.00	
Expenses on Trainee	754590	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754591	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754595	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754596	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754600	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754604	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754614	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754617	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754624	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	754626	12-12-2018	1,000.00	
Expenses on Trainee	755117	12-12-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	015135	19-12-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	015141	19-12-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	015142	19-12-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	015145	19-12-2018	1,000.00	
Honorariumum Expenses	015146	19-12-2018	1,000.00	

Honorariumum Expenses	015156	19-12-2018	1,000.00
Honorariumum Expenses	015157	19-12-2018	1,000.00
Honorariumum Expenses	015159	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	015183	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	015200	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	015206	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	015211	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	015217	19-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	018453	27-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	018463	27-12-2018	1,000.00
Expenses on Trainee	018597	03-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	018601	03-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	018603	03-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	018604	03-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	018605	03-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	018635	11-01-2019	1,000.00
Honorariumum Expenses	018708	17-01-2019	1,000.00
Honorariumum Expenses	018710	17-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019191	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019193	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019196	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019197	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019199	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	019200	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143461	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143462	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143466	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143467	30-01-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143512	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143518	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143519	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143522	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143523	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143524	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143526	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143527	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143529	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143537	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143533	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143534	05-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143626	12-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143627	12-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143632	12-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143634	12-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143638	12-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143669	14-02-2019	4,260.00
Expenses on Trainee	143772	18-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143778	18-02-2019	500.00
Expenses on Trainee	143788	18-02-2019	500.00
Expenses on Trainee	143803	18-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143805	18-02-2019	1,000.00
Expenses on Trainee	143853	05-03-2019	2,000.00
Expenses on Trainee	143856	05-03-2019	40,500.00
Expenses on Trainee	143861	05-03-2019	14,000.00
Expenses on Trainee	143971	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143976	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143978	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143979	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143980	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143983	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143985	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143995	14-03-2019	3,000.00
Expenses on Trainee	143991	14-03-2019	1,500.00
Expenses on Trainee	143994	14-03-2019	1,500.00
Food Expenses	144006	18-03-2019	11,564.00
Tour and Travelling Expenses	660634	18-03-2019	63,525.00
Expenses on Trainee	660705	29-03-2019	5,000.00

Expenses on Trainee	660706	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660707	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660709	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660710	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660711	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660712	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660714	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660715	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660716	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660717	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660718	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660719	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660720	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660721	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660722	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660723	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660724	29-03-2019	2,000.00	
Expenses on Trainee	660725	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819786	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819788	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819789	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819790	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819791	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819793	29-03-2019	1,000.00	
Expenses on Trainee	819794	29-03-2019	1,000.00	
News Paper & Periodicals	819796	29-03-2019	800.00	
Repair & Maintainenance	819797	29-03-2019	4,600.00	
Repair & Maintainenance	819798	29-03-2019	15,250.00	
Electricity Expenses	819799	29-03-2019	2,030.00	
Food Expenses	819800	29-03-2019	2,614.00	
Tds Payable U/s 194C	819801	29-03-2019	54.00	
Printing & Stationery	819802	29-03-2019	6,300.00	
Tds Payable U/s 194C	819803	29-03-2019	216.00	
Food Expenses	819804	29-03-2019	42,262.00	
Tds Payable U/s 194C	819805	29-03-2019	823.00	
Printing & Stationery	819806	29-03-2019	70,991.00	
Tds Payable U/s 194C	819807	29-03-2019	1,379.00	
Tour and Travelling Expenses	819808	29-03-2019	11,000.00	
Tour and Travelling Expenses	819809	29-03-2019	5,780.00	
Printing & Stationery	819810	29-03-2019	1,99,054.00	
Tds Payable U/s 194C	819811	29-03-2019	3,866.00	
Tour and Travelling Expenses	819812	29-03-2019	39,101.00	
Tds Payable U/s 194C	819813	29-03-2019	798.00	
Travelling Allowance	819814	29-03-2019	15,000.00	
Expenses on Trainee	819815	30-03-2019	38,700.00	
				10,39,757.00
Less:- Received during Financial Year 2018-19 but not cleared in Bank				
Receive From CBDRR		30-03-2019	(10,00,000.00)	
				(10,00,000.00)
Less:- Payment by Bank but not entered in Cash book				
		09-05-2018	(1,000.00)	
		15-11-2018	(1,000.00)	
Cheque No. 498130 issued for Rs. 1,000.00 but actually cleared as per bank statement is Rs. 10,000.00		13-04-2018	(9,000.00)	
Cheque No. 420721 issued for Rs. 1,000.00 but actually cleared as per bank statement is Rs. 10,000.00		11-05-2018	(9,000.00)	
				(20,000.00)
Add:- Amount received as per Bank Statement but not entered in Cash Book				
		17-12-2018	997.05	

			28-12-2018 29-01-2019	5,000.00 648.00	6,645.05
Add:- Reversal to be taken in cash book as per Audit Report of FY 2017-18 but not entered in Cash Book of FY 2018-19 Expense on Training of Boat Driving				1,600.00	1,600.00
Total					**29,002.05**
Total closing balance after adjustment					**21,52,36,786.55**
Closing balance as per Bank Statement					**21,52,36,786.55**
Difference					-

For Bihar State Disaster Management Authority

Secretary

Internal Audit Report For FY 2018-19

NOTES TO ACCOUNTS

1. **Method of accounting:**
   Bihar State Disaster Management Authority is adopting Cash Method of Accounting. The cash basis of accounting recognizes transactions and events only when cash (including cash equivalents) is received or paid by the entity. Financial statements prepared under the cash basis provide readers with information about the sources of cash raised during the period, the purposes for which cash was used and the cash balances at the reporting date.

2. **Depreciation on Fixed Assets:**
   Organization is maintaining its books of account on cash basis of accounting, so depreciation is not charged on fixed assets.

3. **Contingent Liabilities:**
   At the end of financial year 2018-19, contingent liabilities are NIL.

For Bihar State Disaster Management Authority

for Secretary

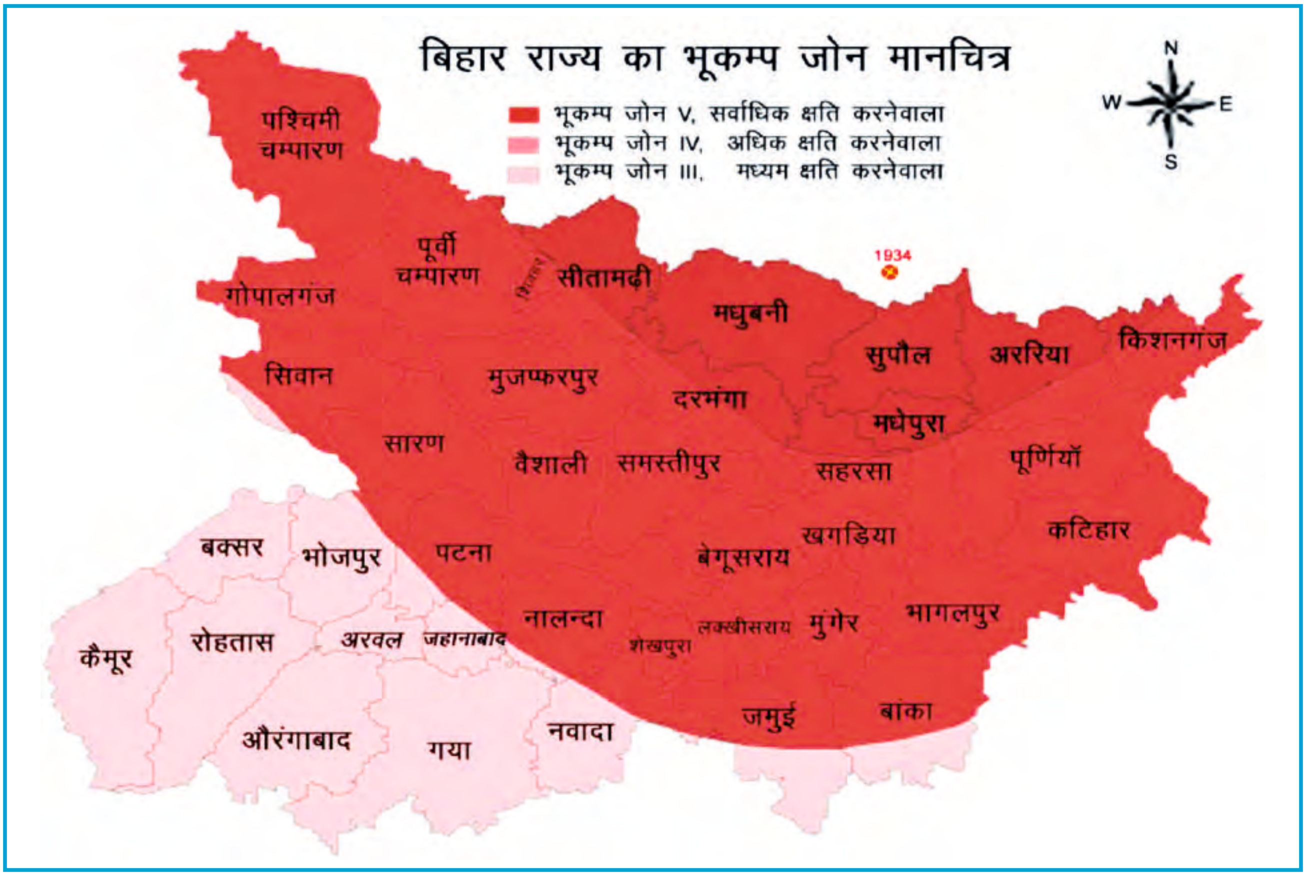

बिहार राज्य का भूकम्प जोन मानचित्र
भूकम्प जोन V, सर्वाधिक क्षति करनेवाला
भूकम्प जोन IV, अधिक क्षति करनेवाला
भूकम्प जोन III, मध्यम क्षति करनेवाला
N
W
E
S
1934
पश्चिमी चम्पारण
पूर्वी चम्पारण
सीतामढ़ी
गोपालगंज
मधुबनी
सुपौल
अररिया
किशनगंज
सिवान
मुजफ्फरपुर
दरभंगा
मधेपुरा
सारण
वैशाली
समस्तीपुर
सहरसा
पूर्णियाँ
खगड़िया
कटिहार
बक्सर
भोजपुर
पटना
बेगूसराय
नालन्दा
लक्खीसराय
मुंगेर
भागलपुर
कैमूर
रोहतास
अरवल
जहानाबाद
शेखपुरा
जमुई
बांका
औरंगाबाद
गया
नवादा

तेज चक्रवाती हवाओं से
बिहार राज्य के प्रभावित जिले
Paschim Champaran
Purba Champaran
Sitamarhi
Gopalganj
Siwan
Muzaffarpur
Saran
Vaishali
Samastipur
Buxar
Bhojpur
Patna
Begusarai
Khagaria
Bhagalpur
Kaimur
Rohtas
Jehanabad
Nalanda
Lakhisarai
Munger
Shekhpura
Aurangabad
Gaya
Nawada
Jamui
Banka

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

फोन : 91 (0612) 2547232, फैक्स : 91 (0612) 2547311

Visit : www.bsdma.org. Email : info@bsdma.org, tweet : sdma.bihar

Printed by : Bharat Printing Works, Qty. - 450